



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 14 फरवरी 2026 ई० (माघ 25, 1947 शक संवत्) [संख्या 07

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	77-82	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	101-108	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	1-2	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	397-502	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

29 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० 923/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री/पी०जी०डी०एम०एल०ई० डिप्लोमा को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री—					
1.	परशुराम, अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूं	संख्या-13497/IV-3429/ एडमिन(ए-1), दिनांक 01.10.2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
2.	संदीप गुप्ता-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद	संख्या-13856/IV-4673/ एडमिन(ए-1), दिनांक 16.10.2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2023
3.	रजत सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर	संख्या-13499/IV-3028 /एडमिन(ए-1), दिनांक 01.10.2024	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लॉ एण्ड एथिक्स (पी०जी०डी० एम०एल०ई०)	2023
4.	चन्दन सिंह, सिविल जज (जू०डी०), बलिया	संख्या-14222/IV-5397/ एडमिन(ए-1), दिनांक 23.10.2024	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एल०एल०एम०	2020

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

29 नवम्बर, 2024 ई०

सं० I/810014/2024—भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश, संवर्ग के अधिकारी श्री अनुराग पटेल आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2010) विशेष सचिव राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त चकबंदी उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

04 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० 956/दो-4-2024-26/2(5)/2011—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती—					
1	अमित वीर सिंह, ए०डी०जे० (पॉक्सो), सोनभद्र	संख्या-14436/IV-3218 /एडमिन(ए-1), दिनांक 26.10.2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
2	शालिनी-I, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बुलन्दशहर	संख्या-15074/IV-4859 /एडमिन(ए-1), दिनांक 12.11.2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2021
3	अशोक कुमार यादव-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर	संख्या-15070/IV-4690 /एडमिन(ए-1), दिनांक 12.11.2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
4	शबिस्तां आकिल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागपत	संख्या-14274/IV-3261 /एडमिन(ए-1), दिनांक 24.10.2024	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	पी०एच०डी०	2007

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

13 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० I/823976/2024—श्री विजय किरन आनन्द, आई०ए०एस० (आर०आर०-2009) को नियुक्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, शासन के आदेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज के पद पर मूलरूप से तैनात किया गया है। श्री विजय किरन आनन्द, (आई०ए०एस०) मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज को महाकुम्भ मेला क्षेत्र में महाकुम्भ-2025 के सुचारु आयोजन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित अधिकार प्रदान किया जाता है—

1— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट और 14(2) के अधीन अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए उक्त संहिता के अधीन अथवा सम्प्रति (इन फोर्स) किसी अन्य कानून के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समस्त अधिकार।

2— उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 [उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उ०प्र० अधिनियम सं०-4 सन 2016) द्वारा यथा संशोधित] की धारा-12 के अधीन उक्त जिले में अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करते हुए समस्त श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग करने एवं कलेक्टर के समस्त कार्य करने के अधिकार।

विजय कुमार,
विशेष सचिव।

सेवानिवृत्ति

31 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० I/837447/2024—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसंबर, 2024 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1— श्रीमती लीला नन्दन, आई०ए०एस० (आर०आर०-1987), सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार।

2— श्री मनोज सिंह, आई०ए०एस० (आर०आर०-1989), प्रतीक्षारत।

3— श्री सुरेन्द्र राम, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2010), प्रतीक्षारत।

प्रवीण कुमार सिंह,
उप सचिव।

अनुभाग-2

प्रोन्नति

24 फरवरी, 2025 ई०

सं० I/890048/2025—विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के चयन वेतनमान, वेतन बैंड-3, रु० 15,600—39,100 ग्रेड पे रु० 7,600 (लेवल-12) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को विशेष वेतनमान, वेतन बैंड-4, रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,700 (लेवल-13) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम/बैच/वर्तमान तैनाती
1	2
	सर्वश्री—
1	विधान जायसवाल, 2008, परीक्षा नियंत्रक, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
2	गुलाब चन्द, 2008, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद।
3	आलोक कुमार वर्मा, 2008, अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।

विनीत प्रकाश,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

26 अप्रैल, 2025 ई०

सं० I/945857/2025—अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

- 1— श्री अरुण सिंघल, आई०ए०एस० (आर०आर०-1987) महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।
- 2— श्रीमती मोनिका एस० गर्ग, आई०ए०एस० (आर०आर०-1989) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3— श्री राम सिंहासन प्रेम, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2012), सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।

विजय कुमार,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

प्रोन्नति

29 अप्रैल, 2025 ई०

सं० I/947944/2025—विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के चयन वेतनमान, वेतन बैंड-4, रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,700 (लेवल-13) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैंड-4, रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,900 (लेवल-13क) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम/बैच/वर्तमान तैनाती
1	2
	सर्वश्री—
1	विनय कुमार पाठक, 2007, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2	राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, 2007 अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

30 अप्रैल, 2025 ई०

सं० I/949060/2025—नियुक्ति अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/947944/2025, दिनांक 29 अप्रैल, 2025 द्वारा उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारीगण को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,900 (लेवल-13क) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश के क्रमांक 2 पर अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी का नाम टंकण त्रुटिवश राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी अंकित हो गया है। अतः उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को निम्नवत संशोधित संशोधित समझा जाये—

2— विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के चयन वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,700 (लेवल-13) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे रु० 8,900 (लेवल-13क) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम/बैच/वर्तमान तैनाती
1	2
	सर्वश्री—
1	विनय कुमार पाठक, 2007, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2	राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, 2007, अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

विनीत प्रकाश,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 फरवरी, 2026 ई० (माघ 25, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

08 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1782(4)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-गभाना में थाना-जवां की पुलिस अमरौली के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	गभाना	कोल	अमरौली	216/ 2मि०	0.109 हेक्टेयर	5-1 नवीन परती	थाना जवां की पुलिस चौकी अमरौली के निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।

02 जनवरी, 2025 ई०

सं० 1828(4)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-अतरौली के ग्राम-गंगावास परगना अतरौली में प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	अतरौली	अतरौली	गंगावास	248	4.465 हेक्टेयर	5-3ड बंजर भूमि	प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) हेतु वन विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर।

सं० 1837(4)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार

अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-अतरौली के ग्राम-गंगावास परगना अतरौली में प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	अतरौली	अतरौली	गंगावास	248	2.550 हेक्टेयर	5-3ड बंजर भूमि	प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) हेतु वन विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर।

विशाख जी,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

20 फरवरी, 2025 ई०

सं० 1897(4)/डी०एल०आर०सी०—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-कोल के ग्राम-वाजीदपुर नादा, परगना-कोल में 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित करता हूँ। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	कोल	वाजीदपुर नादा	181	0.100 हेक्टेयर	6-4 ऊसर भूमि	33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान, शाहपुर कुतुब के निर्माण हेतु ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर।

सं0 1898(4)/डी0एल0आर0सी0-उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-कोल के ग्राम-महेशपुर, परगना-कोल में 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित करता हूँ। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुर्नग्रहित भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	कोल	महेशपुर	354मि0	0.100 हेक्टेयर	6-4 ऊसर भूमि	33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1899(4)/डी0एल0आर0सी0-उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-कोल के ग्राम-अहमदपुर उम्मेर खां, परगना-कोल में 132 के0वी0ए0 विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को हस्तान्तरित करता हूँ। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुर्नग्रहित भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	कोल	अहमदपुर उम्मर खां	39मि०	0.500 हेक्टेयर	6-4 ऊसर भूमि	132 के०वी०ए० विद्युत उपसंस्थान, मथुरा रोड़ के निर्माण हेतु ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर।

25 फरवरी, 2025 ई०

सं० 1900(5)/डी०एल०आर०सी०—उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या 06/2023/16(1)/एक-1-2023-रा०-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी-अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-अलीगढ़ की तहसील-गभाना के ग्राम-शाहपुर, परगना-चण्डौस में निम्नांकित भूमि को उत्तर प्रदेश, शासन के अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य/किराया पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर को हस्तान्तरित करता हूँ। पुनर्ग्रहित भूमि का वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	चण्डौस	शाहपुर	277/3	1.000	6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो रहे एवं ऊसर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन 30 वर्ष के लिए लीज पर।
					295मि०	0.913		
					296	0.868		
					303मि०	1.300		
					309मि०	0.900		
					योग .	4.481		

संजीव रंजन,
जिलाधिकारी-अलीगढ़।

हाथरस के जिलाधिकारी की आज्ञायें

27 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 1273/डी0एल0आर0सी0/2024—उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी-हाथरस निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-हाथरस की तहसील-सासनी के ग्राम-नगला गढ़ू में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी-सासनी की आख्या दिनांक 30 अगस्त, 2024 के क्रम में पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हक्टेयर								
1	हाथरस	सासनी	सासनी	नगला गढ़ू	32	2.280	6-4 (ऊसर)	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु

24 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 215/डी0एल0आर0सी0/2024—उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी, हाथरस निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-हाथरस की तहसील-हाथरस के ग्राम-केवलगढी में जिला-उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र हाथरस कार्यालय निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी-हाथरस की आख्या दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 व उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र हाथरस के भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के क्रम में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र हाथरस के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	हाथरस	हाथरस	मुरसान	केवलगढी	232	0.124 में से 0.100 हेक्टेयर	5-1 (नवीन परती)	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र हाथरस

सं० 216/डी०एल०आर०सी०/2024-उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी-हाथरस निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-हाथरस की तहसील-हाथरस के ग्राम-केवलगढी में राज्य कर विभाग कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी-हाथरस की आख्या दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 व उपायुक्त, राज्य कर, खण्ड-02, हाथरस के भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के क्रम में राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा—

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	हाथरस	हाथरस	मुरसान	केवलगढी	227	0.370 में से 0.258	5-1 (नवीन परती)	राज्य कर विभाग कार्यालय एवं आवास निर्माण
					230	0.242 स्कूल फार्म	1-ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा गाँव सभा या अन्य स्थानीय अधिकारी जिसे 1950 ई०के० उ०प्र० ज०वि० एवं भू०व्य० अधि० की धारा 117 क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो, खेती करता हो	
योग.						0.500		

14 फरवरी, 2025 ई0

सं0 471/डी0एल0आर0सी0-2025—उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी-हाथरस निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद-हाथरस की तहसील-हाथरस के ग्राम पुन्नेर में निम्नांकित भूमि को उत्तर प्रदेश, शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष सांकेतिक मूल्य/किराया पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर को हस्तान्तरित करता हूँ। पुर्नग्रहित भूमि का वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हाथरस	हाथरस	हाथरस	पुन्नेर	1083	1.680	श्रेणी 6-4 जो	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
					1086	1.670	अन्य कारणों	विभाग उ0प्र0 शासन 30
					1080	0.500	से अकृषिक हो	वर्ष के लिए लीज पर।
					योग .	3.850		

राहुल पाण्डेय,
जिलाधिकारी-हाथरस।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 फरवरी, 2026 ई० (माघ 25, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत उन्नाव

ईट भट्ठा उपविधि

23 जनवरी, 2026

विज्ञप्ति

सं०-1324/21A-05/जि०पं०-26-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा-143 के साथ पठित धारा-145 एवं 239 (1) व 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत उन्नाव द्वारा अपने नियंत्रणाधीन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित फिक्स चिमनी ईट भट्ठों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में दिनांक 26 अगस्त, 2023 को प्रकाशित उपविधि की धारा-8 (अ) में पुनः संशोधन/संवर्धन किया गया है शेष उपविधि पूर्ववत् रहेगी। मेरे द्वारा उपरोक्त संशोधन हेतु पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा-242 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

प्रचलित उप नियम

संशोधित/संवर्धित उप नियम

8 (अ) इस उपविधि के अन्तर्गत फिक्स चिमनी ईट भट्ठों से निम्नवत् वार्षिक लाईसेंस फीस अदा होने पर लाईसेंस दिया जायेगा।

8 (अ) इस उपविधि के अन्तर्गत फिक्स चिमनी ईट भट्ठों के क्रमांक 1 व 2 के लाईसेंस फीस पूर्ववत् रखते हुए जिग जैग ईट भट्ठों से निम्नवत् वार्षिक लाईसेंस फीस अदा होने पर लाईसेंस दिया जायेगा।

प्रचलित उप नियम	संशोधित/संवर्धित उप नियम
1—फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये तक)—10,000.00	3—जिगजैग ईट भट्ठा—(13 पाये तक) —15,000.00
2—फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये से अधिक)—15,000.00	4—जिगजैग ईट भट्ठा (13 पाये से अधिक)—20,000.00

विजय विश्वास पन्त,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 फरवरी, 2026 ई० (माघ 25, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद

12 सितम्बर 2024 ई०

सं० 695/ओ०एस०/2025-26-नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद मा० सदन की बैठक 13 मार्च 2024 में पारित संकल्प सं० 98 द्वारा जलकल विभाग द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य मॉडल उपविधि को सर्वसम्मति के पास किये जाने के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद सीमान्तर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं उसके सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक के ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/किट/सोख्ता) के संग्रहण ढुलाई और उसमें जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/समाजिक संस्थानों से आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान/तरुण मित्र में दिनांक 08 अगस्त 2024 व 12 सितम्बर 2024 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस व्यतीत हो जाने उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन एफ०एफ०एस०एम० उपविधि 2023 की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसिया हैं। यह उपविधि सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय के भवनों पर लागू होगा।

नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि 2023

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोखा) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार— ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है—

- (क)— उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग)— सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
- (घ)— मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ)— प्रोहिबिशन ऑफ एम्पलॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एवं देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013
- (च)— आईएस कोड 2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड)—सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता
- (छ)— केन्द्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज)— जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ)— उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] भवनों पर लागू होगा।

अध्याय -I

प्रारंभिक—

1— संक्षेप— शीर्षक विस्तार और आरंभ—

- (i)— इन उपविधियों को (नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 20xx ' कहा जा सकता है
- (ii)— ये गजट में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2— परिभाषा—

“एक्सेस कवर” का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

“अपेलेट बॉडी” निकाय शहरी स्वच्छता समिति, और या कोई अन्य संबंधित प्रसंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;

“फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट” उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;

“को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी” का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

“विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली” का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय, संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;

“नियुक्त अधिकारी” निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

“डिस्लजिंग” का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

“निस्तारण” का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

“एफ्लूयंट” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

“फीकल स्लज एवं सेप्टेज” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

“फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

“ग्रे वाटर” का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

“होस्ट यूएलबी” का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय ‘होस्ट’ बना रहेगा;

“ईनसैनिटरी लेट्रिन्स” का तात्पर्य उन शौचालयों है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

“लाइसेंस” का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति है, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होता है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

“लाइसेंस प्राप्त ऑपरेट” (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

“अधिसूचित स्थान” का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

“ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)” ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर

स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;

“**ऑपरेटर**” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

“**मालिक**” का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

“**व्यक्ति**” का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित चाहे निगमित हो या नहीं;

“**सेनिटरी लेट्रिन्स**” का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवररेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किये गये डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो; “**सेप्टिक टैंक**” भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

“**शेडयूल्ड डीस्लजिंग**” का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

“**सेप्टेज**” का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किये हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।

“**सीवेज**” का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

“**सीवर**” वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

“**सीवेज पम्पिंग स्टेशन**” का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

“**सीवेज उपचार संयंत्र**” का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

“**निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी**” का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गये कर्मचारी।

“**परिवहन या ढुलाई**” का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

“**उपचार**” का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

“**उपचार सुविधा**” का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

“यूएलबी क्लस्टर” का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय के साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

“निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक” का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

“निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)” ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

“अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर” का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकाले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकालने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

“कर्मि” का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुये हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं है लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3— परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण— निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्—

(i)— यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा करे।

(ii)— अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii)— यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाये, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती है। (देखें परिशिष्ट-1)

(iv)— वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन x किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर xx वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/पलशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4— मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन— निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिका या अभिग्राही, जैसे भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा—

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों के केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5— ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

(i)— ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। या इसके समय समय पर किया गये संशोधित प्रावधान अथवा [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii)— ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii)— परिसर का मालिक [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

(iv)— परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v)— परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या [निकाय का नाम] के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi)— नियमों के पालन के लिए [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है [निकाय का नाम] समय-सीमा के भीतर अपने खर्च पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6— निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस—

(i)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii)– [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] अपने कर्मियों सहित ओपरेटरों के लिए आईसीसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii)– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(vi)– [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

(v)– इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7— लाइसेंस जारी करने की शर्तें—

(i)– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित “व्यक्ति” से होगा।

(ii)– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

(iii)– (नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद) में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv)– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] के साथ पंजीकृत करेगा।

(v)– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

(vi)– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii)– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक है। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8— लाइसेंस के लिए आवेदन— फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9— लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण— लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10— लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क— नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर [निकाय का नाम] द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1— पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

(i)— ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 xx

(ii)— पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम x वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii)— लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 xx

11— लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12— जागरूकता अभियान— इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जाएगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13— संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा।

(i)— भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए [निकाय का नाम] के लाइसेंसधारी ऑपरेटरों अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

(ii)— मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क—

(i)— समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय का नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii)— शहर में जब कभी [निकाय का नाम] द्वारा शेड्यूल्ड डीस्लजिंग पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे [निकाय का नाम] द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(iii)— लाइसेंस धारी ऑपरेटर संपत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई के वाहन—

(i)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और दुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ii)— आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(iii)— डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल दुलाई के लिए समय-समय पर [निकाय का नाम] द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

(iv)— ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और [निकाय का नाम] वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(v)— वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) “septic tank waste” (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16— दुलाई के दौरान सावधानी— लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल अधिसूचित स्थान तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17— दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18— दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी— किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19— नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय— हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्पलॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20— फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

(i)— लाइसेंसधारी ऑपरेटर [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii)— लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii)— होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21— निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

(i)— निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

(ii)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अन्दर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(iv)— संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा किया जाएगा।

(v)— होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi)—एमओयू अवधि के किसी भी समय यदि, "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22— निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य—

(i)— निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii)— निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii)—यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v)— होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi)— यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो [निकाय का नाम] को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23— कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24— कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25— बीमा— लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26— लाइसेंस रद्द किया जाना— इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27— उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान—

(i)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

(ii)— उपचार सुविधा के अभाव में (नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद), आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारु उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

(iii)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति—

(i)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी]

(ii)— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने के या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (लिंग तटस्थ) नियुक्त करेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं]

30— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय— निकाय द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल (समस्त नगर क्षेत्र) पर समय-समय पर [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा अधिसूचित अवधि (प्रत्येक तीन वर्ष से सेप्टिक टैंक भरने की स्थिति में, भरने पहले हो)के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31— आद्यौगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है— अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32— फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33— उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल— निकाय किसानों को अनुपचारिक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34— प्रशासन और प्रवर्तन—

(i)— इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ [अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी] द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv)— [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जेंसी रिसर्पोस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35— जांच के लिए विशेष शक्ति— इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36— नियम उल्लंघन और जुर्माना—

(i)— इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(ii)— किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। यदि ऐसा व्यक्ति— (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii)— इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ0 एस0 एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv)— जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर [नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद] द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

(v)– संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37— अपील— निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38— विवाद समाधान उपविधि— इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39— फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन— मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40— संदर्भ प्रलेख— उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41— डीस्लज के लिए सम्मान/पुरस्कार— अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42— उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश— इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खंड 2 (xxiii)] 3 (iii) और 5 (i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन—

- आयताकार: लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- गहराई: 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन— छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक
- सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल दो वर्ष)
1	2	3	4
	मीटर—	मीटर—	मीटर—
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1— सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बी0आई0एस0 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2— फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए। स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल-भाग ए: इंजीनियरिंग। सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता— टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं:

- अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

- फीकल स्लज डाइजेशन: डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए

- फीकलस्लज और मल भण्डारण: फीकलस्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।

- फ्री बोर्ड: कम से कम 0.3 मी. सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

(नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद) में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये—
1.	कच्चाघर/झोंपड़ी	450
2.	टिन शेड प्रकार का घर	850
3.	सभी अन्य घर (पक्काघर)	1,700
4.	दुकान	1,800
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	2,200
6.	बैंक	2,500

1	2	3
		रुपये—
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	1,200
8.	रेस्टोरेंट	2,500
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01से 10 कमरे)	2,500
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,800
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,200
12.	धर्मशाला (1से 25 कमरे)	1,600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	2,200
14.	3 स्टार होटल	3,000
15.	5 स्टार होटल	4,000
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,200
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	1,500
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	2,000
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	3,000
20.	2— व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,000
21.	2— व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस के साथ)	3,000
22.	2— व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	3,000
23.	4— व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	4,000
24.	मल्टीप्लेक्स	2,500
25.	छात्रावास (01से 10 कमरे)	2,200
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,500
27.	छात्रावास (21से 50 कमरे)	2,800
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,200
29.	विवाह हॉल/बैंक्टेव हॉल	3,500
30.	बार	3,000
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2,500
32.	सरकारी अस्पताल (20 बेड से अधिक बेड)	3,000
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	2,000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,500
35.	पैथलॉजिकल लैब	2,000
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,800
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	3,000
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	4,000
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	4,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,500

नोट—

1— उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकायद्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2— उपरोक्त श्रेणियों प्रति 3,000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज की निकासी पर आधारित है। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतले, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य-स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए—

(i)— शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिपलेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

(ii)— शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

(iii)— सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरैटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है।

(iv)— सेपटी टॉर्च

(v)— भारी रासायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।

(vi)— संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेपटी गॉगल्स

(vii)— टॉर्च के साथ लगे सेपटी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

(viii)— दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहाँ औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।

(ix)— आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

(x)— गैस मॉनीटर

(xi)— हेड लैंप

(xii)— गाइड पाइप सेट

(xiii)— सेपटी ट्राइपॉड सेट

(xiv)— वेडर बूट

(xv)—एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi)— मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम

(xvii)— रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पालिका परिषद् फर्रुखाबाद।

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1—निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन -पत्र

1— आवेदक का नाम (श्री/सुश्री):

2— पता:

3— पंजीकृत कार्यालय का पता

4— टेलीफोन नंबर: (कार्यालय)(मो0).....

ईमेल आईडी:.....

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने
वाले ऑपरेटर/
ठेकेदार का निकाय
मोहर के साथ एक
पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकाएं

5— मल—कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर—माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

6— लाइसेंस की प्रोसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण— नकद.....(रसीद संख्या)

7— संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं
1	2	3	4	5	6
पहचान प्रमाण		पता -प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या—

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक—.....

विनोद कुमार,

अधिकांसी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत

नगर पंचायत अमीनगर सराय विविध उप नियमावली 2025

30 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 808/न0पं0अ0/उपविधि/2025-26—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सीमान्तर्गत विविध उपनियमावली-2025 प्रस्तावित करते हुए नगर पंचायत द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 24 जून, 2025 के प्रस्ताव संख्या 6(3) द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला/दैनिक जनवाणी में विविध उपनियमावली 2025 का दिनांक 25 अगस्त, 2025 से 30 दिन तक आम जनमानस के अवलोकनार्थ एवं दावे/आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रकाशन कराया गया। निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। बोर्ड बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के प्रस्ताव संख्या-5(5) के द्वारा संशोधन सम्मिलित करते हुए उपविधि का अन्तिम रूप से प्रकाशन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

सक्षिप्त नाम एवं प्रसारः—

1—यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सराय विविध उपविधि 2025 कहलायेगी। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपविधियों को सम्मिलित किया गया है—

(क) अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण (दाखिल-खारिज) के लेखा पर कर उपनियमावली-2025।

(ख) विविध सेवा शुल्क रेग्युलेशन उपनियमावली-2025।

(ग) निर्माण एवं विध्वंस प्रबन्धन (निस्तारण) उप नियमावली 2025।

1—यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा एवं ऐसे संक्रमित क्षेत्रों में लागू होगी, जहाँ पर नगर पंचायत द्वारा आवश्यक सुविधाएं यथा पेयजल, सड़क, जल निकासी इत्यादि के बदले करा रोपण किया गया है।

2—यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

3—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासना देशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

2— परिभाषाएंः—

(क) उपविधि से तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत अमीनगर सराय द्वारा बनायी गयी उपविधि से है।

(ख) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ग) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय से है।

(घ) अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

(ङ) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) कर/शुल्क का तात्पर्य विभिन्न उपनियमावलियों में वर्णित विभिन्न मदों पर लगाये गये कर/शुल्क से है।

(छ) सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी जगह से है, जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपयोग-उपभोग के लिए खुला हो। चाहे ऐसी जगह नगर पंचायत में निहित हो अथवा नहीं।

(ज) संक्रमित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो नगर पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे-सड़क, नाला-नाली का निर्माण, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि नगर पंचायत अमीनगर सराय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, पर भी यह नियमावली लागू समझी जायेगी।

(झ) नगर पंचायत सेवक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत से वेतन प्राप्त करता है और उसकी सेवा में हो।

(ञ) विधवा से तात्पर्य मृतक की वैध रूप से विवाहिता पत्नी से है, जिनके विवाह का विघटन नहीं किया गया हो।

(ट) सम्पत्ति से नामांतरण (दाखिल-खारिज) से तात्पर्य ऐसे कार्य से है, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में सम्पत्ति को हस्तांतरित करता है।

(ठ) 'बोर्ड' का तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

(ड) आपराधिक कृत्य से तात्पर्य किसी भी ऐसे कृत्य से है जो कि नगरपालिका अधिनियम 1916 अथवा इस उपविधि का उल्लंघन कर किया गया है।

(ढ) 'दण्ड' से तात्पर्य आपराधिक कृत्य होने पर लगने वाला जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही से है।

(ण) 'शमन' से तात्पर्य आपराधिक दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ अथवा कम करने से है।

(त) अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधियों में प्रसारित नहीं है, तब उसका अर्थ उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अधिनियमों में दी गयी परिभाषा से लिया जायेगा।

(1) नगर पंचायत अमीनगर सराय अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण (दाखिल-खारिज) के लेखा पर कर उपनियमावली-2025

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रसार-

(क)-यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सराय अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उपनियमावली- 2025 कहलाएगी।

(ख)-यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सभी लेखों पर प्रयुक्त होगी।

(ग)-यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(घ)-कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड वसीयतनामा, लिखनामा, क्रय-विक्रय, दान-पत्र, हिबेनामा, रहनामा अथवा पारिवारिक बटवारा द्वारा करायेगा, उस पर यह उप नियम प्रभावी होगा।

2-दाखिल-खारिज (नामान्तरण हेतु दिशा-निर्देश)-

(क) कोई भी व्यक्ति जो भूमि अथवा भवन के स्वामी के रूप में अपना नाम नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है, उसे एक प्रार्थना-पत्र व समस्त दस्तावेज, जिन्हे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाये, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित व्यक्ति को 50 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित एक शपथ-पत्र देना होगा कि जिस भूमि, प्लॉट अथवा भवन का नाम वह नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है, वह शासकीय भूमि नहीं है और न ही उस भूमि, प्लॉट अथवा मकान पर किसी शासकीय विभाग अथवा अन्य कोई मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग) नगर पंचायत द्वारा सभी प्रार्थना-पत्रों पर जॉचोपरान्त प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने की, दाखिल-खारिज सूची को आम-जनता के अवलोकनार्थ एवं दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा तथा निर्वाचित बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

(घ) नामान्तरण (दाखिल-खारिज) करने से पूर्व सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को नगर पंचायत की ओर से एक नोटिस भी निर्गत की जायेगी, जिसकी न्यूनतम अवधि 30 दिन की होगी। यदि समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा नोटिस निर्गत की 30 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो सम्बन्धित व्यक्ति का नाम नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कर लिया जायेगा।

(ङ) दाखिल-खारिल से पूर्व भूमि, प्लॉट अथवा भवन पर स्वामित्व सिद्ध करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।

(च) यदि प्लॉट, मकान अथवा भूमि पर नामान्तरण को लेकर सम्बन्धित पक्षों में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो नगर पंचायत तब तक अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं करेगी, जब तक सभी पक्षों में लिखित रूप में समझौता ना हो जाये अथवा अनिर्णय की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा नामान्तरण को लेकर अपना फैसला किसी के पक्ष में ना दे दिया गया हो।

(छ) यदि नामान्तरण से पूर्व अथवा पश्चात नामान्तरण को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा विवाद की स्थिति बनती है तो नगर पंचायत को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह नामान्तरण को निरस्त कर दे।

(ज) यदि किसी शिकायत के आधार पर अथवा विवाद की स्थिति में नामान्तरण निरस्त होता है, तो दाखिल-खारिज के रूप में प्राप्त समस्त शुल्क नगर पंचायत के पक्ष में जम्मा कर लिया जायेगा।

(झ) नगर पंचायत द्वारा दावा/आपत्ति की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात तथा दस्तावेज की जांचोपरान्त संतुष्ट होने की दशा में नामान्तरण शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र को अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के आदेश के पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति का नाम नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कर लिया जायेगा।

(ञ) क्रय की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह उपविधि में निर्धारित शुल्क के साथ प्रक्रिया का पालन कर 90 दिन के अन्दर नगर पंचायत अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा ले। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में 200 रु0 विलम्ब शुल्क प्रतिवर्ष अलग से देय होगा।

(ट) जब यह संदेह उत्पन्न हो कि किसी भूमि अथवा भवन का मालिक कौन है ऐसी दशा में अधिशासी अधिकारी निश्चय करेगा कि किस हैसियत मालिक का नाम दर्ज किया जाय। अधिशासी अधिकारी का यह निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में अपना निर्णय न दे दिया गया हो।

(ठ) किसी भूमि अथवा भवन जिस पर कर लगाया गया हो यदि उसका स्वामी अपनी मिलकियत किसी दूसरे को हस्तांतरित करे तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि रजिस्ट्री होने अथवा कब्जा दिये जाने के 90 दिन के अन्दर हस्तान्तरण की लिखित सूचना नगर पंचायत को देकर इन्दाज करा ले।

(ड) ऐसी भूमि और भवन जिस पर कर देय हो उसके मालिक की मृत्यु पर मालिक के उत्तराधिकारी द्वारा 90 दिन के अन्दर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम नगर पंचायत रिकार्ड में दर्ज करा लिया जाये अन्यथा कि स्थिति में वह विलम्ब दण्ड का भागी होगा।

(ढ) अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अवसर पर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों या जैसी भी स्थिति हो, के नगर पंचायत अमीनगर सराय के लिए अचल सम्पत्ति के कुल मूल्य का 2% सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराकर उसकी रसीद नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(ण) नाम परिवर्तन की किसी कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण वसूली की प्रक्रिया स्थगित न की जायेगी।

(त) कर के आंशिक छूट या वापसी पाने के लिए किसी भवन के मालिक जिसमें कई भवन हो कर निर्धारण के समय अध्यक्ष/अधिकांसी अधिकारी से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कुल सम्पत्ति पर कर लगाते समय हर भवन का वार्षिक मूल्य अलग-अलग अंकित कर लिया जाय।

(थ) वसीयत के आधार पर नामांकरण की दशा में वसीयत का रजिस्टर्ड/100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित होना अनिवार्य है। यदि वसीयत निस्पादक की मृत्यु के पश्चात रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो ऐसा वसीयत कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं होगी। प्रत्येक वसीयत को दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणन किया जाना चाहिए।

(द) नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति का कोई भी हस्तांतरण/बंधक तब तक वैध नहीं माना जायेगा जब तक की सम्पत्ति के कुल मूल्य की 2 प्रतिशत धनराशि सबरजिस्ट्रार कार्यालय में जमा न कर दी गयी हो।

(ध) सब रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा न होने की दशा में नगर पंचायत कोष में उक्त धनराशि नगद/चैक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से जमा की जा सकती है।

3-दाखिल खारिज (नामांतरण) का आधार—

दाखिल-खारिज/नामान्तरण हेतु निम्न प्रकार से नगर पंचायत दस्तावेजों में कराया जा सकता है:—

- (क) रजिस्टर्ड वसीयत
- (ख) दान-पत्र
- (ग) बैनामा
- (घ) विक्रय
- (ङ) बन्धक
- (च) पट्टा
- (छ) विनिमय
- (ज) पारिवारिक समझौता

4-नामान्तरण (दाखिल-खारिज) हेतु दस्तावेज—

- (क) बैनामा अथवा दान-पत्र अथवा अन्य स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
- (ख) पंजीकरण शुल्क की रसीद।
- (ग) प्रकाशन शुल्क की रसीद।
- (घ) अन्य कोई दस्तावेज, जिसकी नगर पंचायत द्वारा मांग की जाये।

5—नामान्तरण (दाखिल—खारिज) हेतु शुल्क—

(क) पंजीकरण शुल्क—200 रु0

(ख) प्रकाशन शुल्क—500 रु0

(ग) पैत्रक सम्पत्ति हेतु नामान्तरण शुल्क—500 रु0

(घ) दान—पत्र के आधार पर नामान्तरण शुल्क—1000 रु0

(ङ) भूमि, प्लाट या मकान क्रय की स्थिति में बैनामा के आधार पर नामान्तरण शुल्क—क्रय सम्पत्ति के कुल मूल्य का 1 % की दर से शुल्क।

6—नामान्तरण हेतु मार्गदर्शिका—

(क) यदि किसी व्यक्ति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में विवाह किया हो, तो ऐसा विवाह शून्य होगा और ऐसी विधवा उत्तराधिकारी होने के लिए हकदार नहीं होगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति की दो सह—विधवाएँ हैं तो उनमें से दोनों मिलकर एक अंश प्राप्त करेगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दो सह—विधवाओं और दो पुत्रों को छोड़कर मर जाता है, तो प्रत्येक पुत्र एक तिहाई अंश प्राप्त करेगा, जबकि सह—विधवाएँ शेष एक अंश संयुक्त रूप से प्राप्त करेगी।

(ग) यदि गोदनामों के आधार पर दाखिल—खारिज हेतु आवेदन दिया जाता है और उक्त दस्तावेज साबित कर दिया जाता है, तो दत्तक पुत्र के पक्ष में दाखिल—खारिज का आदेश दिया जा सकता है।

(घ) दाखिल—खारिज हेतु बेटे का मतलब केवल वास्तविक बेटा नहीं है, बल्कि इसमें गोद लिया बेटा भी शामिल है।

(ङ) यदि कोई व्यक्ति हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य है तथा ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पत्नी विधवा के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है।

(च) ऐसी हिन्दू महिला जिसने पुनर्विवाह कर लिया है, वह अपने प्रथम पति से उत्पन्न पुत्र के लिए माता के रूप में सम्पत्ति का दावा कर सकती है।

(छ) यदि कोई विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र का दत्तक ग्रहण करती है, तो ऐसा पुत्र दत्तक ग्रहण की तारीख से सम्पत्ति में हित अर्जित करेगा।

(ज) **विशेष उपबंध**—दाखिल—खारिज हेतु शुल्क में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 10% की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी। नगर पंचायत बोर्ड द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी आवश्यकतानुसार नामान्तरण शुल्क में वृद्धि की जा सकती है, किन्तु बिना अधिशासी अधिकारी की सहमति के नामान्तरण शुल्क में कटौती नगर पंचायत बोर्ड द्वारा नहीं की जा सकेगी।

(झ) **निरसन**—इस उपविधि के लागू होने के पश्चात इससे पूर्व लागू सभी शुल्क, देय प्रभार, उपविधियाँ निष्प्रभावी मानी जायेगी।

(ञ) **दण्ड**—यदि कोई व्यक्ति इस उपविधि में दिये गये किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा त्रुटिपूर्ण/कपटपूर्ण तरीके से नामान्तरण कराने में सफल हो जाता है अथवा नामान्तरण होने के पश्चात कोई ऐसा तथ्य/शिकायत संज्ञान में आती है जो कि विधिक रूप से सही नहीं है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा नामान्तरण को शून्य करते हुए अर्थदण्ड लगाया जायेगा, जो कि 5000 रु0 तक हो सकता है तथा नामान्तरण हेतु दिये गये शुल्क को नगर पंचायत के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

(ट) **शमन**—इस उपविधि के उल्लंघन पर लगाये गये किसी भी दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से शमन करने हेतु बोर्ड की सहमति से अधिशासी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा। जिसका निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(2) नगर पंचायत अमीनगर सराय विविध सेवा शुल्क रेग्युलेशन उपनियमावली-2025**1-संक्षिप्त नाम एवं प्रसार-**

क-यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सरायविविध सेवा शुल्क रेग्युलेशन उप नियमावली 2025 कहलायेगी।

ख-इसका विस्तार नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा एवं संक्रमित क्षेत्रों के अतिरिक्त उस सीमा तक होगा, जैसा कि इस उपविधि के प्रावधानों में निर्धारित किया जाये।

ग-यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2-महत्वपूर्ण प्रावधान-

(क) नगर पंचायत अमीनगर सराय इस उपविधि के द्वारा विविध सेवाओं के बदले कर/उपभोक्ता शुल्क/सेवा शुल्क का प्रावधान करती है।

(ख) इस उपविधि के लागू होने के पश्चात शुल्क की दरें वही होगी जो कि इस उपविधि में निर्धारित की जायेगी।

(ग) इस उपविधि के लागू होने के पश्चात नगर पंचायत अमीनगर सराय द्वारा अपने द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले वर्तमान में जो सेवा शुल्क लिया जा रहा है, वह निष्प्रभावी हो जायेगा और शून्य समझा जायेगा।

(घ) अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो किसी भी सेवा के बदले सुरक्षा की दृष्टि से सिविलोरीटि राशि जितनी वह उस सेवा के बदले उचित समझे, जमा करा सकता है।

(ङ) नगर पंचायत कार्यालय में स्थित मेन हॉल की बुकिंग अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी के विवेकाधीन होगी। मेन हॉल की बुकिंग हेतु अथवा बुकिंग को निरस्त करने हेतु अधिशाली अधिकारी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(च) नगर पंचायत किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि नगर पंचायत का बकायेदार हो, इस उपविधि में वर्णित किसी भी सेवा (जिसमें जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, नकल प्रमाण-पत्र एवं दाखिल-खारिज भी शामिल हैं) प्रदान करने से मना कर सकती है, जब तक की बकायेदार व्यक्ति या सेवा की मांग करने वाला व्यक्ति अथवा निकट संबंधी (पिता, पुत्र, दादा व नजदीकी रिस्तेदार इत्यादि होने पर) उस निकट संबंधी व्यक्ति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उस बकाया धनराशि को जमा कर, नो ड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो। किसी भी सुविधा/सेवा को प्राप्त करने हेतु नगर पंचायत कार्यालय में एक लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ नो ड्यूज प्रमाण-पत्र व सेवा शुल्क की रसीद संलग्न होगी। अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी के सहमत होने की दशा में संबंधित व्यक्ति को निर्धारित शुल्क लेकर सेवा प्रदान कर दी जायेगी।

(छ) नगर पंचायत द्वारा सिटी गार्डन बारात घर को जब तक नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर एवं विहित शर्तों का निर्धारण कर शासकीय हित में नीलाम न कर दिया जाये, तब तक इस उपविधि में निर्धारित शुल्क को बुकिंग हेतु वसूल किया जायेगा।

(ज) नगर पंचायत सम्पत्ति की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की होगी। यदि सेवा के दौरान नगर पंचायत की किसी भी सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की होगी।

(झ) नगर पंचायत किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि नगर पंचायत की अनुमति के बिना पानी पीने की पाइप लाईन में चोरी से कनेक्शन कर लेने पर या पूर्व में बिना नगर पंचायत की अनुमति के चोरी से पानी का कनेक्शन कर रखा हो तो पकड़े जाने पर अर्थदण्ड सहित इस उपविधि में निर्धारित शुल्क जमा कर वसूल किया जायेगा तथा पानी की चोरी करने पर एफ0आई0आर0 भी की जा सकती है।

(ञ) यदि कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की भूमि/सड़क पर शौचालय का गटर/गडढा खोदता पाया गया या पूर्व में सड़क पर शौचालय का गटर/गडढा निर्मित पाया गया तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि उस व्यक्ति पर इस उपविधि में निर्धारित अर्थदण्ड लगाकर गटर/गडढे को बन्द करा सकेगी।

3—नगर पंचायत द्वारा दी जा रही सेवाएं एवं सेवा शुल्क—

क्र०सं०	सेवाएं/सुविधाएं	प्रस्तावित शुल्क	
		नगर पंचायत सीमा व संक्रमित क्षेत्र	1 मील नगर पंचायत सीमा से बाहर
1	2	3	4
1.	पानी का टैंकर (पेयजल हेतु) प्रतिफेरा ट्रैक्टर सहित	500 रु०	1000 रु०
2.	पानी का टैंकर (पेयजल हेतु) प्रतिफेरा बिना ट्रैक्टर	400 रु०	900 रु०
3.	पानी का टैंकर (पेयजल हेतु) 12 घण्टे हेतु (एक बार)	800 रु०	1200 रु०
4.	पानी का टैंकर (पेयजल हेतु) प्रतिफेरा धार्मिक आयोजन, सामाजिक—सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन इत्यादि	निःशुल्क	निःशुल्क
5.	पानी का टैंकर (निर्माण कार्य हेतु) प्रतिफेरा ट्रैक्टर सहित	700 रु०	1200 रु०
6.	पानी का टैंकर (निर्माण कार्य हेतु) प्रतिफेरा बिना ट्रैक्टर	600 रु०	1000 रु०
7.	पानी का टैंकर (निर्माण कार्य हेतु)— 12 घण्टे हेतु	1000 रु०	1500 रु०
8.	जे०सी०बी० मशीन (प्रति घण्टा)	1200 रु० अथवा 800 रु० प्रति घण्टा व तेल अतिरिक्त।	1500 रु० अथवा 1000 रु० प्रति घण्टा व तेल अतिरिक्त।
9.	जे०सी०बी० मशीन सामाजिक, सांस्कृतिक व सरकारी कार्य हेतु	निःशुल्क, अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी की लिखित अनुमति से।	निःशुल्क अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी की लिखित अनुमति से।
10.	पोकलैन मशीन (प्रतिघण्टा) (तेल अतिरिक्त)	1000 रु० व ट्राला ले जाने हेतु ट्रैक्टर—ट्राला भाडा अतिरिक्त, जैसा अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये।	नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क व विहित शर्तों पर अनुबंध के अनुसार।
11.	ट्रैक्टर—ट्राली	नगर पंचायत द्वारा परिस्थिति जन्य पर निर्धारित शुल्क पर	नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क व विहित शर्तों पर अनुबंध/अनुमन्य के अनुसार

1	2	3	4
12.	सिटी गार्डन बारात घर-12 घण्टे हेतु	5100 रु0 अथवा नगर पंचायत द्वारा नीलामी प्रक्रिया में निर्धारित शुल्क व शर्तों के अनुसार	—
13.	नगर पंचायत कार्यालय मेन हॉल (अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी की सहमति होने पर)	2500 रु0/ इसमें जनरेटर, कुर्सी, साउंड इत्यादि का शुल्क उक्त सम्पत्ति के प्रयोग करने पर अलग से देय होगा।	—
14.	नगर पंचायत कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम अथवा नियंत्रणणाधीन कैमरो हेतु सेवा शुल्क (अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी की सहमति पर)	निजी कार्य हेतु -500 रु0 प्रतिघण्टा, शासकीय कार्य हेतु - निःशुल्क	—
15.	शौचालय के प्रयोग हेतु	शौच हेतु -निःशुल्क यूरिनल - निःशुल्क	—
16.	नकल जारी करने हेतु (प्रति वर्ष)	100 रु0	—
17.	मोबाइल टॉयलेट (4 सीटर) ट्रैक्टर सहित	1500 रु0	2000 रु0
18.	मोबाइल टॉयलेट (6 सीटर) ट्रैक्टर सहित	2000 रु0	3000 रु0
19.	मोबाइल टॉयलेट 4 सीटर व 6 सीटर क्रमशः (बिना ट्रैक्टर)	1000 रु0 व 1500 रु0	1500 रु0 व 2000 रु0
20.	कीटनाशक स्प्रे ट्रैक्टर (प्रति फेरा)	2000 रु0	3000 रु0
21.	जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र (21 दिन के अन्दर)	निःशुल्क	—
22.	जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र (21 दिन के बाद व 1 साल की अवधि के अन्दर)	100 रु0	—
23.	जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र (1 साल की अवधि के बाद) प्रतिवर्ष	100 रु0	—
24.	डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन (सामान्य आवास)	निःशुल्क	—
25.	डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन (व्यावसायिक शुल्क)	निःशुल्क	—
26.	डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन (विवाह स्थल)	500 रु0 प्रति आयोजन	—
27.	डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन (बल्क जनरेटर)	1000 रु0 प्रतिमाह	—
28.	कैटल-कैचर	1000 रु0 प्रतिदिन	1500 रु0 प्रतिदिन
29.	एम्बुलेंस सेवा :- नगर पंचायत की 1 मील की सीमा के अन्दर (सरकारी कार्य/आकस्मिक सेवा हेतु) सरकारी कार्य से भिन्न 1 मील की सीमा तक नगर पंचायत सीमा के बाहर जाने हेतु	निःशुल्क 500 रु0 500 रु0 व 10 रु0 प्रति कि0मी0	— — —
30.	सीवर सक्शन मशीन	3000 रु0	5000 रु0
31.	नगर पंचायत की बिना अनुमति के पानी पीने की पाइप लाइन से कनेक्शन करने पर शुल्क	6000 रु0 तथा प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित जल मूल्य	10000 रु0 तथा प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित जल मूल्य

1	2	3	4
32	नगर पंचायत की सड़क/सरकारी भूमि पर गटर/गड्ढा बनाने पर अर्थ-दण्ड	10,000 रु0	—
33	अन्य सेवाएं	बाजार दर पर अथवा नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर।	—

4. निरसन—इस उपविधि के लागू होने के पश्चात इससे पूर्व लागू सभी शुल्क, देय प्रभार, उप विधियां निष्प्रभावी मानी जायेगी।

5. सक्षम प्राधिकारी—इस उप विधि एवं उसके प्रावधानों को लागू कराने हेतु अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी एवं उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा।

6. दण्ड—यदि कोई व्यक्ति इस उपविधि का उल्लंघन करता है अथवा इस उपविधि में प्राविधानित सेवा-शुल्क को चुकाये बिना सेवा प्राप्त करता है तो वह दण्ड का भागी होगा, जो कि सम्बन्धित सेवा-शुल्क के तीन गुने तथा अपराध निरन्तर जारी रखने की दशा में 500 रु0 प्रतिदिन हो सकेगा। यदि उपविधि के उल्लंघन में किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता अथवा लापरवाही परिलक्षित हैं तो सम्बन्धित कर्मचारी से सेवा-शुल्क क्षति की दो गुने धनराशि के साथ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें उसकी सेवा समाप्ति भी शामिल है। दण्ड का भुगतान न करने पर उसकी वसूली नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-6 में दी गयी रीति से वसूल की जायेगी।

7. शमन—इस उपविधि के उल्लंघन पर लगाये गये किसी भी दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से शमन करने हेतु अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा। जिसका निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

8. संशोधन—यदि नगर पंचायत हित में अधिकासी अधिकारी का यह अभिमत प्राप्त होता है कि किसी विशेष सेवा अथवा समस्त सेवाओं के शुल्क में वृद्धि/कमी करना आवश्यक है तब अधिकासी अधिकारी अपने अभिमत के साथ बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखवायेगा। बोर्ड बैठक में उपस्थित सदस्य यदि बहुमत के साथ अभिमत से सहमत होते हुए प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हैं, तो उक्त शुल्क को प्रस्ताव में संशोधन की सीमा तक संशोधित माना जायेगा। यह संशोधित शुल्क तभी लागू माना जायेगा जब इसका दो स्थानीय समाचार-पत्रों में सक्षिप्त प्रकाशन करा दिया गया हो। इस संशोधित सूचना के लिये गजट में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) नगर पंचायत, अमीनगर सराय निर्माण, विध्वंस एवं प्रबन्धन (निस्तारण) उप नियमावली, 2025

1—सक्षिप्त नाम एवं प्रसार—

(क) यह उप नियमावली नगर पंचायत अमीनगर सराय निर्माण, विध्वंस एवं प्रबन्धन (निस्तारण) उप नियमावली 2025 कहलायेगी।

(ख) यह उप नियमावली नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा के अन्दर किये गये ऐसे सभी निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर लागू होगी, जो कि नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा के अन्दर किया जा रहा हो।

(ग) यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2. परिभाषाएं—

(क) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से है।

(ख) अर्थ-दण्ड/जुर्माना का तात्पर्य इस उप नियमावली के अन्तर्गत आरोपित अर्थ-दण्ड/जुर्माना से है।

(ग) निर्माण का तात्पर्य बिल्डिंग निर्माण के प्रोसेस, बिल्डिंग निर्माण सामग्री व सड़क, नाली, नाला आदि के निर्माण से है।

(घ) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का तात्पर्य बिल्डिंग/सड़क/नाला, नाली निर्माण से उत्पन्न, बिल्डिंग जीर्णोद्धार, मरम्मत, विध्वंस से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(ङ) विध्वंस का तात्पर्य दैवीय आपदा से विध्वंस, मशीन/मजदूरों से तोड़े जाने पर विध्वंस व विस्फोटक पदार्थ से तोड़े जाने से है।

(च) सेवा प्रदाता से तात्पर्य पेयजल आपूर्ति, सिवरेज, विद्युत विभाग, दूरसंचार, सड़क, नाली आदि के द्वारा कराये जाने पर उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(छ) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान अथवा आवासीय परिसरों इत्यादि से है जिसके द्वारा निर्माण कार्यो के दौरान अपशिष्ट उत्पन्न किया जाता है।

3-अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता हेतु दिशा निर्देश—

(क) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता प्राथमिक रूप से उत्पन्न अपशिष्ट के लिये जिम्मेदार होगा तथा इस उप नियमावली के प्रकाशन की दिनांक से कोई कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर पंचायत अमीनगर सराय में निर्माण व विध्वंस से उत्पन्न अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करेगा।

(ख) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता जो 2 टन प्रतिदिन या 300 टन प्रतिमाह अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं उनके द्वारा अपने बाउण्ड्री युक्त स्थल में अपशिष्ट को पृथक्-पृथक् जैसे— मिट्टी, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, ईट व मोर्टार (कंकरीट) का प्रबंधन प्लान निकाय कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा।

(ग) कोई भी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थल पर निर्माण एवं विध्वंस से उत्पन्न अपशिष्ट को अनुमति लेकर निःशुल्क दे सकेगा, जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। नगर पंचायत द्वारा हटवाये जाने पर अपशिष्ट उठाने से लेकर पहुँच एवं निस्तारण तक के खर्च का वहन अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता से लिया जायेगा।

(घ) नगर के भवन स्वामी अपने मकान निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार से उत्पन्न अपशिष्ट का निस्तारण स्वयं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति सड़क, सार्वजनिक स्थल पर अपशिष्ट डालते पाया जाता है, तो अर्थ-दण्ड/जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।

(ङ) सेवा प्रदाता द्वारा कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से 3 माह पूर्व नगर पंचायत से कार्य करने, उत्पन्न अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करेगा। अनुमति के समय उत्पन्न अपशिष्ट को रखने की व्यवस्था एवं उसके निस्तारण की समयबद्ध कार्य योजना भी प्रस्तुत करनी होगी।

(च) निर्माण स्थल पर कार्य कराये जाने के पश्चात उत्पन्न अपशिष्ट हटाकर साइट क्लीन/पूर्व की भांति स्वच्छ करना होगा।

4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में चूक हेतु जुर्माना की दर—

क्र०सं०	जुर्माना/अर्थ-दण्ड	जुर्माने की दर प्रतिदिन रू० में
1	2	3
1.	बिना अनुमति कार्य प्रारम्भ किये जाने पर	रू० 20,000 प्रति व्यक्ति
2.	कार्य के उपरान्त कार्य स्थल पर उत्पन्न अपशिष्ट छोड़ने पर अथवा अपशिष्ट का निस्तारण न करने की स्थिति में	रू० 30,000 एवं निकाय द्वारा निस्तारण में आये समस्त व्यय की धनराशि अलग से वसूल की जायेगी
3.	नगर पंचायत के ठेकेदार द्वारा सड़क, नाला, नाली का कार्य कराये जाने के उपरान्त मौके पर अपशिष्ट पाये जाने पर	रू० 20,000 व निकाय द्वारा अपशिष्ट निस्तारण में आये व्यय की वसूली ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
4.	नगर पंचायत के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपशिष्ट निस्तारण न करने की स्थिति में	निकाय द्वारा निस्तारण में आये व्यय की पूर्ति हेतु रू० 20,000 धनराशि अलग से वसूल की जायेगी
5.	नगर के भवन स्वामी मकान निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार से उत्पन्न अपशिष्ट सड़क, सार्वजनिक स्थल पर डालने पर	1—रू० 1000 (10 कुंटल तक अपशिष्ट पाये जाने पर) 2—रू० 5,000 (10 कुंटल से 20 कुंटल तक अपशिष्ट पाये जाने पर) 3—रू० 10,000 (20 कुंटल से अधिक अपशिष्ट पाये जाने पर)

5. विशेष उपबन्ध : प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात उपरोक्त दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः हो जायेगी।

6. निरसन : इस उपविधि के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त नियम, उपनियम एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

7. दण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अधिनियम, 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी होगा जो कि उपरोक्तानुसार होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है तो रू0 1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिदिन अर्थ-दण्ड लिया जा सकता है।

8. शमन—इस उपविधि के अन्तर्गत लगाये गये किसी भी दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से शमन करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी में निहित होगा जो, कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

1—वाणिज्य नियन्त्रण एवं लाइसेन्स शुल्क उप नियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(क) नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत की वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेन्स उप नियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(ख) उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(ग) इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नियम व शर्तें—

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित दरें
1	2	3
1.	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया	1,000.00 प्रतिवर्ष
2.	तीन सितारा होटल	9,000.00
3.	पाँच सितारा होटल	12,000.00
नर्सिंग होम—		
4.	नर्सिंग होम (10 बेड तक)	1,000.00 प्रतिवर्ष
5.	नर्सिंग होम (10 बेड से 20 बेड तक)	2,000.00 प्रतिवर्ष
6.	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,000.00 प्रतिवर्ष
7.	प्रसूति गृह (20 बेड से 50 बेड तक)	3,000.00 प्रतिवर्ष
8.	प्राइवेट अस्पताल	2,000.00 प्रतिवर्ष
9.	पैथोलॉजी सेन्टर	1,000.00 प्रतिवर्ष
10.	एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक	1,000.00 प्रतिवर्ष
11.	डेंटल क्लीनिक	2,000.00 प्रतिवर्ष
12.	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00 प्रतिवर्ष
परिवहन		
13.	आटो रिक्शा (2 सीटर)	360.00 प्रतिवर्ष
14.	आटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00 प्रतिवर्ष
15.	आटो रिक्शा (7 सीटर)	720.00 प्रतिवर्ष
16.	मिनी बस	2,000.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
17.	बस	3,000.00 प्रतिवर्ष
18.	तंगा	50.00 प्रतिवर्ष
19.	रिक्शा किराये पर	150.00 प्रतिवर्ष
20.	रिक्शा निजी चालित	50.00 प्रतिवर्ष
21.	ठेला/ठेली	360.00 प्रतिवर्ष
22.	हाथ ठेला	360.00 प्रतिवर्ष
23.	बैल गाड़ी/भैंसा गाड़ी	150.00 प्रतिवर्ष
24.	रेहडा मोटर-साईकिल	500.00 प्रतिवर्ष
25.	ट्रॉली	150.00 प्रतिवर्ष
अन्य व्यवसाय—		
26.	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड	4,000.00 प्रतिवर्ष
27.	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति फण्ड	4,000.00
28.	पशुवध (स्लाटर-हाऊस)	20,000.00 प्रतिवर्ष
29.	हड्डी,खाल,सींग,गोदाम	5,000.00 प्रतिवर्ष
30.	बार-बियर	12,000.00 प्रतिवर्ष
31.	आईस फैक्ट्री	1,000.00 प्रतिवर्ष
32.	लघु उद्योग	500.00 प्रतिवर्ष
33.	मोबाइल टावर लगाने की फीस	20,000.00 प्रतिटावर
34.	वाई-फाई इंटरनेट चलाने हेतु	5,000.00 प्रतिवर्ष
35.	गैस एजेन्सी/आफिस/गोदाम	12,000.00 प्रतिवर्ष
36.	फ्लैस/साइन बोर्ड	5,000.00 प्रतिवर्ष
दुकान—		
37.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00 प्रतिवर्ष
38.	देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)	12,000.00 प्रतिवर्ष
39.	अंग्रेजी शराब/बियर की दुकान (प्रति दुकान)	12,000.00 प्रतिवर्ष
40.	मुर्गा मीट की दुकान (प्रति दुकान) NOC के लिए	2,000.00 प्रतिवर्ष
41.	रेस्टोरेन्ट/कैफे	6,000.00 प्रतिवर्ष
42.	लाईब्रेरी/कॉचिंग सेन्टर	3,000.00 प्रतिवर्ष
पशुपालन काजी हाउस—		
41.	पालतू पशू प्रति	10.00 प्रतिदिन
42.	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00 प्रति पशु
43.	कांजी हाउस में बन्द जानवर प्रति खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	10.00 प्रतिदिन
44.	प्रति खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़ा आदि)	25.00 प्रतिदिन

दण्ड

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि में दिये उपनियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर मु0 1,000.00(एक हजार रुपये) अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो किसी भी दशा में रुपये 2500.00 (दो

हजार पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा। यदि अपराध निरन्तर करता मिलता है तो दोष सिद्ध होने के दिनांक से अंगन रुपये 25.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना दण्डनीय होगा।

2—बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(क) यह उप नियम नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली कहलायेगी, जो नगर पंचायत अमीनगर सराय के अधिसूची क्षेत्र एवं संक्रमित क्षेत्र में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

ख—नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की सहमति से इस नियमावली के नियम शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमावली पर प्रभावी होगा।

(ग) नियमावली के नियम व शर्तों को क्रियान्वित कराने का दायित्व नगर पंचायत कार्यालय पर होगा।

(घ) उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 में दिये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(ङ) इस नियमावली के लागू होने के बाद इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नियम व शर्त—(क) नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अथवा संक्रमित क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी कम्पनी/फर्म अपने विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, वाल पेन्टिंग, बैनर, कटआउट, विज्ञापन पर बोर्ड पोस्टर, हैण्ड बिल लगायेगा उसे नगर पंचायत से या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार से अनुमति लेकर ही लगाना होगा और उसका भुगतान नगर पंचायत को सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा कराना होगा।

(ख—विज्ञापन दाता विज्ञापन का प्रचार प्रसार ऐसे स्थानों को करेंगे ताकि कम्पनी, के प्रचार-प्रसार से मर्ज स्थान ऐतिहासिक स्थल की सूचना पर या अन्य किसी कम्पनी के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये धारा (21) में प्रकाशित ग्लोसाईन आदि का विलुप्तिकरण न हो।

(ग) विज्ञापनदाता अपने आवेदन में एक सप्ताह पूर्व विज्ञापन का साइज, प्रकार आकार एवं समय सहित देगा तथा उपविधि में वर्णित शुल्क जमा करेगा।

(घ) विज्ञापन की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापन दाता आवेदन करके विज्ञापन अवधि बढ़ायेगा। यदि 30 दिन के अन्दर विज्ञापन दाता ऐसा नहीं करता है, जो उपनियम की धारा-2 में प्रकाशित ग्लोसाईन को नगर पंचायत या नगर पंचायत के द्वारा नामित ठेकेदार जब्त कर लेगा।

(ङ) ग्लोसाईन बोर्ड आदि केवल सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाये जायेंगे। भले ही स्थान नगर पंचायत की सीमा के अन्दर किसी भी अन्य विभाग के हों।

(च) नगर पंचायत प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मार्च के माह में विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु एक वर्ष के लिए ठेका उठायेगी और ठेका सीलबन्द निविदा/कोटेशन पर उठाया जायेगा।

(छ) ठेका प्राप्तकर्ता ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा ठेके का समस्त धन एक मुश्त स्वीकृति की दिनांक के सात दिन के भीतर जमा करना होगा।

8. विज्ञापन शुल्क सरह—दुकान पर लगाये जाने वाले फ्लैक्स का साईज व डिजाइन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक जैसा ही होगा।

(क) दुकानों के नाम साथ-साथ या स्वतन्त्र रूप से अन्य किसी चीज का ग्लोसाईन/साईन बोर्ड लगाकर लिये जा रहे विज्ञापन के रु0 50 प्रति फिट प्रतिवर्ष की दर से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।

(ख) वाल पेन्टिंग रु0 300 प्रति वर्ग फिट वार्षिक।

(ग) बैनर/फ्लैक्स 20 वर्ग फिट रु0 10.00 प्रतिदिन।

(घ) साईनबोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड (केवल कम्पनियों के लिए) रु0 50.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।

(ङ) कटाउट विज्ञापन एक नग रु0 30.00 प्रति वर्ष।

(च) बोर्ड पोस्टर रु0 400.00 प्रति सैकड़ा प्रति बार।

(छ) पोस्टर हैंड बिल रु0 200.00

9. शुल्क मुक्त सूची—(1) दुकानों के सूचक, राजकीय एवं शासकीय तथा राष्ट्रीय पर्वों तथा धार्मिक आयोजन पर लगाये गये विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन शुल्क से मुक्त होंगे।

दण्ड

दण्ड उपविधि का उल्लंघन उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु0—1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो। रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

साप्ताहिक बाजार उप नियमावली—किसी भी निजी आवास/भूमि में साप्ताहिक पैठ या बाजार का संचालन नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त विविध उप नियमावली 2025 का उल्लंघन करता है तो रु0 20,000 से 1,00,000.00 रु0 तक जुर्माना से दण्डित किया जायें। यह प्रस्ताव अन्तिम विविध उप नियमावली 2025 में सम्मिलित करते हुए उपविधि को तत्काल अन्तिम प्रकाशन कराकर गजट में प्रकाशित करा लिया जायें तथा गजट प्रकाशन के दिनांक से उक्त उप नियमावली 2025 प्रभावी मानी जायेगी।

भावना सिंह,
अधिकांशी अधिकारी,
नगर पंचायत अमीनगर सराय,
बागपत।

कार्यालय, नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025

30 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 809/न0पं0अ0/उपविधि/2025-26—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 प्रस्तावित करते हुए नगर पंचायत द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 24 जून, 2025 के प्रस्ताव संख्या 6(5) द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जनवाणी में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 का दिनांक 25 अगस्त, 2025 से 30 दिन तक आम जनमानस के अवलोकनार्थ एवं दावे/आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रकाशन कराया गया। निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। बोर्ड बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के प्रस्ताव संख्या-5(3) के द्वारा उपविधि का अन्तिम रूप से प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

संक्षिप्त नाम एवं प्रसार—

1—यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सराय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 कहलाएगी।

2—यह उपविधि नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा के अन्तर्गत भवन, मार्ग व नाली के निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु लागू होगी।

3—इस उपविधि का प्रयोग नगर पंचायत बोर्ड द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवनो का नियंत्रित व विनियमित करने तथा नगर पंचायत सीमा के बाहर 5 मील की दूरी तक किसी भी नाला या नाली के निर्माण को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु किया जा सकेगा।

4—यह उपविधि नगर पंचायत बोर्ड की सहमत होने की दशा में नगर पंचायत सीमा से संलग्न चारो ओर उस दूरी तक किसी भी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियंत्रित व विनियमित करने की शक्ति नगर पंचायत को प्रदान करती है जहाँ तक नगर पंचायत द्वारा आवश्यक सेवाओं जिसमें सड़क व नाली निर्माण भी शामिल है के बदले गृहकर जलकर या अन्य करो की वसूली की जाती है।

5—यह उपविधि गजट मे प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

6—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं—

1—अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2—परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना मे होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिडकी, छत इत्यादि सभी सम्मिलित है।

3—बेसमेंट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशत भूतल के नीचे के निर्माण से है।

4—अधिशाली अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय के अधिशाली अधिकारी से है।

5—अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

6—बोर्ड से तात्पर्य नगर पंचायत अमीनगर सराय के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

7—“नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन”का अभिप्राय नगर पंचायत अमीनगर सराय के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।

8—“व्यवसायिक निर्माण” से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

9—जनोपयोगी सेवा के निर्माण से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धा आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित आवास से है।

10—शासकीय सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत अमीनगर सराय की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है।

11—“निवास ग्रह” से तात्पर्य ऐसे भवनो से है जिनका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिय अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो, से है।

12—खुले स्थान का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो भूखण्ड का अभिन्न भाग हो और आकाश तक खुला हो।

13—स्वामी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका भाग या भवन पर विधिक अधिकार हो अथवा किराया प्राप्त करता हो अथवा परिसर किराये पर होने की दशा मे किराया प्राप्त करने का हकदार हो एवं इसमे निम्न भी शामिल होंगे।

- कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो स्वामी की ओर से किराया प्राप्त करता हो।

- कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो किराया प्राप्त करता हो या जिसे किसी भूमि या भवन का प्रबन्ध सुपुर्द किया गया हो जो धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए हो।
- किसी सक्षम प्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर या प्रबन्धक जिसे परिसर में स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

14—**मुखण्ड** का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हो।

15—**बजार स्ट्रीट** का तात्पर्य सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण से है।

भवन के प्रकार—

1—आवासीय भवन—आवासीय भवन के अंतर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

2—शैक्षिक भवन—शैक्षिक भवन के अंतर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कॉलेज या प्रतिष्ठान जहाँ शिक्षण या प्रशिक्षण हेतु लोग जमा होते हों।

3—संस्थागत भवन—संस्थागत भवन के अंतर्गत वे सभी भवन या भवनों के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो यथा चिकित्सालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार या भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल या दुर्बल शिशुओं की देखभाल, आरोग्य प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के रहने, वृद्ध व्यक्तियों अथवा दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरुद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान भी सम्मिलित हो। संस्थागत भवन में अस्पताल, सैनीटोरीयम, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएँ और दण्डात्मक संस्थाएँ यथा जेल, कारागार, मानसिक चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएँ एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थाएँ भी सम्मिलित होगी।

4—असेम्बली भवन—इसके अंतर्गत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो जन समुदाय के लिए आमोद—प्रमोद, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, सिविल, ट्रैवल, तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो, उदाहरण स्वरूप नाट्य शाला, छविगृह, सामुदायिक भवन, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, पूजा स्थल, संग्रहालय, स्केटिंग, व्यायामशाला, नृत्य गृह, क्लब, यात्री स्टेशन, वायु, थल अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल्स, मनोरंजन पार्क, क्रीडा-स्थल।

5—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन—इसके अंतर्गत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएँ जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हो और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे।

6—कार्यालय भवन—इसके अंतर्गत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो किसी अभिकरण, संस्था, एवं प्रतिष्ठान के प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन तथा लेखा एवं अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त होता हो।

7—औद्योगिक भवन—इसके अंतर्गत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जिनमें किसी प्रकार के उत्पाद या सामग्री बनाई जाती हो, संयोजन के लिए हो या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) किए जाते हो।

8—संग्राहागार भवन—इसके अंतर्गत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होंगे जो मुख्यतः माल के संग्रहण या भण्डारण हेतु प्रयोग में आते हो, उदाहरणार्थ वेयरहाउस, शीतगृह, फ्रीट डिपो, ट्रान्जिट शेड्स, स्टोर हाउस, हेंगर, ग्रेनएलीवेटर, धान्यागार (बार्न) और अस्तबल, आदि।

9—बहुमंजिला भवन—बहुमंजिला भवन का तात्पर्य भूतल सहित 4 मंजिल से अधिक भवन अथवा 15 मीटर से अधिक उंचाई के भवन से है।

टिप्पणी—वे शब्द या पद जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनके वही अर्थ होंगे जैसा उन्हें अधिनियम/नेशनल बिल्डिंग कोड में निर्दिष्ट किया गया है।

विकास एवं निर्माण सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएं/प्रावधान जो इस उपविधि में नहीं हैं, के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड तथा आई.एस./बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा।

भवन निर्माण हेतु आवेदन—आवेदक द्वारा भवन निर्माण से पूर्व एक आवेदन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पर निर्धारित शुल्क जमा करके चार सेट के साथ नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

भवन निर्माण एवं विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं:

- समस्त मानचित्र नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति/ड्रॉफ्टमैन/मानचित्रकार अथवा अवर अभियन्ता द्वारा तैयार किये जायेंगे।

सूचनाएं एवं दस्तावेज—भवन निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे—

- भूखण्ड के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति।
- आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति या रजिस्ट्रीकृत विलेख।
- कोई अन्य दस्तावेज जिसकी नगर पंचायत द्वारा मांग की जाये।

भवन निर्माण हेतु अनिवार्यताएं अनुज्ञा से छूट—

(क) सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपविधियों का उल्लंघन न होने पर निम्नलिखित कार्य के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी, परन्तु विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं परिवर्धन जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन यथा-कालम, बीम का निर्माण, नई लोड बियरिंग दीवार का निर्माण, नई स्लैब डालना, आदि निहित हो, में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन अनिवार्य होगा:—

- 1—ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना अथवा बन्द करना, जो किसी दूसरे की सम्पत्ति की ओर न खेलते हों।
- 2—आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजे की प्राविधान।
- 3—न्यूनतम मापदण्डों का उल्लंघन न होने पर आन्तरिक विभाजन।
- 4—बागवानी।
- 5—सफेदी करना।
- 6—रंगाई करना।
- 7—पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर पुनः टाईल्स लगाना।
- 8—पुनः फर्श निर्माण।
- 9—प्लास्टर करना या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत।
- 10—अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनशेड का निर्माण।
- 11—भवन उपविधियों में प्राविधानित मानकों के अनुसार पोर्टिकों/पोर्च का निर्माण।
- 12—सैप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण।
- 13—हैण्ड पम्प लगाना।
- 14—निर्माण कार्य हेतु अस्थायी वाटर टैंक का निर्माण।
- 15—प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था, का पुनर्निर्माण।

16—वर्षा जल के संचयन, संरक्षण एवं हार्वेस्टिंग हेतु आवश्यक संरचनाओं (भूमिगत वाटर टैंक सहित) का निर्माण।

17—वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण।

(ख) नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उसमें भवन उपविधि व अधिनियम के अनुसार सैट-बैक छोड़े गये हैं एवं निर्माण तीन मंजिल से अधिक न हो तथा अनाधिकृत रूप से विभाजित न हो।

निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना—

अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निधारित प्रारूप पर दी जायेगी।

संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों के समीप निर्माण की अनुज्ञा—

(1) पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मीटर की परिधि के अन्दर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् 200 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी निर्माण हेतु पुरातत्व विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।

(2) संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/भवनों के आस-पास विकास/निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु नगर पंचायत समुचित शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित कर सकती है।

विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

1—होटल निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

भूखण्ड का क्षेत्रफल—

(1) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय तथा गैर आवासीय तथा गैर आवासीय क्षेत्रों में न्यूनतम 04 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

(2) आवासीय क्षेत्र में अधिकतम तीन स्टार तक का होटल अनुमन्य होगा।

(3) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में इससे कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भी होटल का निर्माण अनुमन्य होगा।

सैट-बैक: 10.5 मीटर तक उँचाई के भवनों के लिए सामने 3 मीटर, पीछे 1 मीटर तथा पार्श्व में 1-1 मीटर सैट-बैक होगा।

अनुज्ञा की प्रक्रिया: आवासीय क्षेत्रों में होटल के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

2—नर्सिंग होम के निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

अनुमन्यता: आवासीय एवं गैर आवासीय उपयोग में नर्सिंग होम की अनुमन्यता के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल: आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर जो न्यूनतम 4 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा तथा जिसका न्यूनतम फ्रन्टेज 4 मीटर होगा।

शैख्याओं की संख्या: भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम अनुमन्य शैख्याओं की संख्या निम्न तालिका के अनुसार होंगी:

क्र० सं०	भू-खण्ड का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	शैयाओं की संख्या
1.	100-200	10
2.	200-300	15
3.	300-350	20

अनुज्ञा की प्रक्रिया:—आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यमों से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रभाव शुल्क: आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम अनुमन्य किए जाने पर 'प्रभाव-शुल्क' (Impact-Fee) लिया जाएगा जिसका निर्धारण समय-समय पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

अन्य अपेक्षाएं: (1) मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग) रूल्स-1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों की अपेक्षानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) नर्सिंग होम में संक्रामक रोगों एवं छुआछूत सम्बन्धी बीमारियों का इलाज नहीं किया जाएगा।

3—पूर्व में चल रहे फार्म हाउस/फार्म हाउस के निर्माण हेतु अपेक्षाएं:—

प्रयोजन: कृषि एवं बागबानी, सुअर पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य पशुपालन इत्यादि।

भू-खण्ड का क्षेत्रफल: न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर (1000 वर्ग मीटर)

ऊँचाई का प्रतिबन्ध: फार्म हाउस दो मंजिला होगा। स्थाई/अस्थायी निर्माण की अधिकतम ऊँचाई भू-तल से 10-12 मीटर होगी।

सड़कें: (1) फार्म हाउस के लिए पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई न्यूनतम 6 मीटर होगी, जिसमें कम से कम 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग 'पक्का' होगा।

(2) यदि पहुँच मार्ग एक से अधिक फार्मों के लिए हो, तो पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 7 मीटर होगी।

(3) फार्म हाउस के अन्दर के मार्गों की चौड़ाई कम से कम 3.5 मीटर होगी जिससे फार्म हाउस के अन्दर स्थित विभिन्न भवनों को पहुँच मिल सके।

वृक्षारोपण: भू-खण्ड के 20 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण होगा जिसमें कम से कम 40 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे।

विद्युत तथा अन्य सेवाएं: फार्म हाउस में बिजली, पानी की आपूर्ति तथा जल निकासी का प्रबन्ध भू-स्वामी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

सेप्टिक टैंक: कुएं इत्यादि से सेप्टिक टैंक 10 मीटर दूरी पर होगा जिसमें भूमिगत जल प्रदूषित न हो। चारदीवारी से यह टैंक 3 मीटर दूरी पर होगा।

4—पूर्व में चल रहे फार्म हाउस की नगर पंचायत से अनुमति लेनी होगी।

5—पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अपेक्षाएं:—

प्रयोज्यता—

पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन के अन्तर्गत ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिकतम 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 'कियास्क' (वाणिज्यिक उपयोग) अनुमन्य होगा।

(1) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

(2) प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन हेतु न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर होगा।

(3) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के भू-खण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एवं बाहर निकलने वाले वाहनों का स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।

(4) प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी।

(5) क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप की प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सेट-बैक के अतिरिक्त होगी।

(6) नियमानुसार अग्निशमन प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।

(7) अन्य प्राविधान जो भारतीय पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हों, लागू होंगे।

6—एलपीजी गैस गोदाम हेतु अपेक्षाएं—

पहुँच मार्ग—स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्ग न्यूनतम 10 मीटर चौड़ा होगा।

क्षेत्रफल—भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा।

सेट-बैक—गैस गोदाम हेतु भू-खण्ड के चारों ओर 6.0 मीटर सेट-बैक होगा।

भवन की ऊँचाई—गैस गोदाम की न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी तथा इसके ऊपर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

संवातन—तल क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र संवातन हेतु खिड़कियों तथा वेन्टीलेटर्स, आदि के रूप में होगा।

अन्य अपेक्षाएं—

(1) गैस गोदाम अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होंगे।

(2) गैस गोदाम के निर्माण हेतु स्थानीय अग्निशमन विभाग तथा मुख्य नियन्त्रक, विस्फोटक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7—डेरीफार्म के निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

पहुँच मार्ग—डेरी फार्म के लिए मुख्य मार्ग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग) से पहुँच मार्ग की सुविधा न्यूनतम 6 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग से उपलब्ध होगी।

भू-खण्ड का क्षेत्रफल तथा सेट-बैक—डेरी फार्म हेतु भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर होगा। पशुओं की संख्या के आधार पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल व सेट-बैक निम्न तालिका के अनुसार होंगे—

पशुओं की संख्या	भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	चरों ओर सेट-बैक (मीटर)
25	850	4
50	1700	6
100	4,000	8
200	10,000	10

(1) भू-खण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज 20 मीटर होगा।

(2) पशुओं की संख्या 200 से अधिक होने पर प्रति 10 पशुओं पर 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-खण्ड क्षेत्रफल का प्राविधान आवश्यक होगा।

(3) आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत कैटिल शेड, पशु चारे एवं भूसे का संग्रहण, दुग्ध संग्रहण एवं संरक्षण, दुग्ध विक्रय केन्द्र, पहरा-चौकी एवं पशुओं के रख-रखाव हेतु अनिवार्य कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा तथा चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा, अन्य अनुषांगिक क्रियाओं से सम्बन्धित निर्माण अनुमन्य होंगे।

भवन की ऊँचाई—भवन की अधिकतम ऊँचाई दो मंजिल (7.5 मीटर) होगी।

वृक्षारोपण—भू-खण्ड के 20 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण होगा जिसमें कम से कम 40 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाए जायेंगे।

ड्रेनेज तथा गोबर एवं कूड़ा-निस्तारण—डेरी फार्म से निस्तारण स्थल तक ड्रेनेज की उचित व्यवस्था की जाएगी तथा गोबर एवं 'इफलुएंट' का उत्सारण गोबर संयंत्र, सेप्टिक टैंक, कम्पोस्ट पिट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक के माध्यम से उपचारित करने के उपरान्त किया जाएगा।

अन्य अपेक्षाएं— डेरी फार्म हेतु अन्य अपेक्षाओं तथा कैटिल शेड का आकार, चारा संग्रहण, दुग्ध संग्रहण/संरक्षण/भण्डारण की व्यवस्था, प्रबन्ध कार्यालय, पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधाएं, कर्मचारी आवास की व्यवस्था, तालाब, गोबर गैस संयंत्र, आदि का प्राविधान नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मानकों के अनुसार किया जाएगा।

8—'बारात-घर' / 'उत्सव भवन' के निर्माण हेतु अपेक्षाएं:—

भू-खण्ड का क्षेत्रफल—न्यूनतम 500 वर्गमीटर।

भू-खण्ड का फ्रन्टेज — न्यूनतम 10 मीटर।

सड़क की विद्यमान चौड़ाई —न्यूनतम 8 मीटर।

अनुज्ञा की प्रक्रिया—बारात-घर/उत्सव भवन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमन्त्रित किए जाएंगे, एवं उनके निस्तारण के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा बारात-घर/उत्सव भवन अनुमन्य किए जाने पर आवेदक से रूपया 10,000 का प्रभाव शुल्क भी लिया जाएगा। नवनिर्मित बारात-घर को अनुज्ञा प्रदान हेतु पार्किंग व्यवस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई व्यक्ति पुराना दर्ज कराना चाहता है तो रूपया 5,000 का प्रभाव शुल्क लिया जायेगा।

9—शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

भू-खण्ड का क्षेत्रफल—भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा जिसका न्यूनतम फ्रन्टेज 25.0 मीटर होगा तथा जो न्यूनतम 18.0 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

बाउन्ड्रीवाल की मुख्य मार्ग से दूरी—कोल्ड स्टोरेज की बाउन्ड्रीवाल राष्ट्रीय मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग की मध्य रेखा से न्यूनतम 45 मीटर तथा जनपदीय मार्ग/महायोजना मार्ग के मध्य से न्यूनतम 22.5 मीटर की दूरी पर होगी।

अन्य अपेक्षाएं—कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु उद्यान विभाग के अनुज्ञा-पत्र के साथ-साथ निम्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करने होंगे:—

(1) अग्निशमन विभाग।

(2) लोक निर्माण विभाग।

10—अतिथिगृह के निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

भू-खण्ड का क्षेत्रफल—अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना आवश्यक है।

पहुँच मार्ग—अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भू-खण्ड न्यूनतम 8.0 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

पार्किंग व्यवस्था—प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर न्यूनतम 02 कार पार्किंग का प्राविधान किया जाना होगा। पार्किंग व्यवस्था हेतु अधिकतम दो बेसमेन्ट का निर्माण बिल्डिंग इन्वेलप तक इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2.00 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट में आवास हेतु कोई कमरा/कम्पार्टमेन्ट, आदि सृजित नहीं किया जायेगा और यह केवल पार्किंग व्यवस्था, स्टोरेज एवं जनरेटर, इत्यादि स्थापित करने के प्रयोग में ही लिया जाएगा। जनरेटर ईको-फ्रेंडली/साइलेन्ट प्रकृति का होगा।

अन्य अपेक्षाएं—

(1) अतिथि गृह केवल पर्यटकों/यात्रियों के ही निवास हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा इसमें कोई भी वाणिज्यिक उपयोग/क्रिया यथा-विवाह, जन्मदिन, कान्फ्रेंस, इत्यादि जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जायेंगे।

(2) निर्मित होने वाले भवन में नगर पंचायत की प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा हेतु नियमानुसार भूकम्परोधी निर्माण, अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएँ रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा लैण्डस्केपिंग के प्राविधान सुनिश्चित किए जायेंगे।

प्रभाव शुल्क—आवासीय भू-उपयोग में अतिथि गृह/बारात घर का निर्माण अनुमन्य किए जाने पर आवेदक द्वारा रुपया 10,000 का प्रभाव शुल्क देय होगा।

जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन—जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण एवं इन्स्टालेशन नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2005 के पार्ट-9 सेक्शन-1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। रसोई, गेस्ट हाउस स्टाफ, विजिटर्स, इत्यादि की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जलापूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का वाटर स्टोरेज अपेक्षित होगा।

10—आवासीय क्षेत्र में ए0टी0एम0 के निर्माण हेतु अपेक्षाएं—

अनुमन्यता—आवासीय भू-उपयोग में ए0टी0एम0 का निर्माण न्यूनतम 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड के भू-खण्ड पर अनुमन्य होगा।

प्रभाव शुल्क—वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग से भिन्न भू-उपयोगों में ए0टी0एम0 का निर्माण अनुमन्य किए जाने पर आवेदक द्वारा रुपया 5000 प्रभाव शुल्क देय होगा।

अन्य अपेक्षाएं—

(1) ए0टी0एम0 की अनुज्ञा दिए जाते समय कोने के भूखण्डों को वरीयता दी जाएगी।

(2) निर्मित भवनों में ए0टी0एम0 की अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार ही विद्यमान भवन निर्मित हुआ हो।

11—सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु अपेक्षाएं—

प्रयोज्यता—निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा:—

- (1) अस्पताल तथा नर्सिंग होम,
- (2) होटल,
- (3) अतिथि गृह,

- (4) विश्राम गृह,
- (5) छात्रावास,
- (6) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केंद्र,
- (7) सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक,
- (8) सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन।

निर्माण अनुज्ञा—उक्त प्रकृति के भवनों में निर्माण अनुज्ञा तभी देय होगी जबकि भवन के डिजाइन में छत से विभिन्न वितरण स्थलों तक, जहाँ गर्म पानी की आवश्यकता हो, तापरोधक पाइपों का प्राविधान हो एवं भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र हेतु उपयुक्त स्थान हो। छत की लोड बियरिंग क्षमता न्यूनतम 50 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए तथा भवन की छत पर संयन्त्र की स्थापना हेतु खुला स्थान उपलब्ध होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी सीधे प्राप्त हो सके।

संयन्त्र की क्षमता एवं मानदण्ड—स्नानगार एवं रसोईघर हेतु सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करने के संयन्त्र की न्यूनतम क्षमता 25 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति होनी चाहिए बशर्ते छत का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग ही सौर ऊर्जा संयन्त्र के उपयोग में लाया गया हो।

विशिष्टियाँ—सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली “ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड” (B.I.S.) विशिष्ट I.S. 12933 के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहाँ कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो, तो वहाँ सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।

छज्जे का निर्माण—

भवन निर्माण के साथ 2 फीट तक छज्जा निकालना अनुमन्य होगा।

नगर पंचायत की अनुमति से 2 फीट तक छज्जा निकाला जा सकता है। जिसके लिए 1000 रु0 का मुश्त निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। उक्त शुल्क में 5 वर्ष पश्चात स्वतः ही 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। पूर्व में निर्मित भवन अथवा इस उपविधि के लागू होने के पश्चात नव निर्मित भवनो में छज्जा निर्माण से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अधिकारी की निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाएँ :

विद्यमान भवन : अग्निशमन सुरक्षा की परिधि में आने वाले ऐसे भवन जो उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि अर्थात् 24 जनवरी, 2005 के पूर्व के निर्मित हो, विद्यमान भवन माने जाएंगे। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यमान भवनो को चिन्हीकृत कर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/शमनित ऐसे भवन जिनमें अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया था और जो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुसार स्वीकृत है:

अग्नि सुरक्षा हेतु इन भवनो में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार लगायी गयी शर्तों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रिस्क एवं केस-टु-केस के आधार पर निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएंगी:

- 1—पहुँच मार्ग
- 2—पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/उपरी
- 3—स्वचालित स्प्रिंलर पद्धति
- 4—फर्स्ट ऐड होज रील
- 5—भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त अग्निशामक

- 6—कम्पार्टमेन्टलाइजेशन
- 7—स्वचालित अग्नि संसुचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति
- 8—सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था
- 9—निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह
- 10—विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत
- 11—फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट
- 12—वेट राइजर डाउन कार्नर सिस्टम
- 13—सेट—बैक
- 14—निकास की आवश्यकताएं एवं फायर एक्केप
- 15—फायर ड्रिल
- 16—अग्निशमन पद्धति का अनुसरण
- 17—अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण
- 18—निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल
- 19—सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा
- 20—विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण

पुराने निर्मित ऐसे भवन जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है: ऐसे भवनो में पहुँच मार्ग, सेट—बैक तथा फायर एक्केप का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु अग्निसुरक्षा सम्बन्धी अन्य 17 अपेक्षाएँ केस-टु-केस आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।

नये भवन:

1—नवनिर्मित होने वाले भवन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के भाग-3 व 4 की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियोजित, अभिकल्पित और निर्मित होंगे तथा इन भवनो में उ0 प्र0 अग्नि निवारण और और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 की अपेक्षानुसार अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

2—चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक उँचे भवनो और विशिष्ट भवन यथा-शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनो तथा उपर्युक्त उपयोगो के मिश्रित अधिवासो वाले भवनो जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, की अनुज्ञा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

सक्षम अधिकारी—इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

संशोधन—इस उपविधि में संशोधन नगर पंचायत बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

निरसन—इस उपनियमावली के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

दण्ड—यदि कोई भी व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त

होगा लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा तथा नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क आवासीय हेतु 1,000/—रु0 व्यवसायिक हेतु 2,000/—रु0 लेकर नियमित कर सकेगा।

उपस्थित सभासदों ने गहन विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया कस्बे में आये दिन नगर पंचायत में भवन निर्माण, नक्शे पास कराने के लिए अवेदन आते हैं। नगर पंचायत की कोई उपविधि नहीं है। नगर पंचायत अमीनगर सराय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 बनने पर नगर पंचायत की आय में वृद्धि होगी। इसलिए नगर पंचायत अमीनगर सराय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 बनायी जाये। इस कार्य हेतु अध्यक्ष महोदया एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

भावना सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत अमीनगर सराय,
बागपत।

कार्यालय, नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़

11 जुलाई, 2025 ई0

सं0 2084/स0अनु0/2025-26—निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश के पत्र सं0-423/01 नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 व पत्र संख्या-पी0एम0यू0/11823/544(1)/2024 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2025 के अनुपालन में नगर पंचायत हरदुआगंज ने अपनी सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सैप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा आनुशंगिक मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधि (विनियम) बनायी गई है। इस उपविधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-136/नगर पंचायत हरदुआगंज /2025-26 दिनांक 10 जुलाई, 2025 द्वारा “दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान” तथा कार्यालय के पत्र संख्या-139/नगर पंचायत हरदुआगंज /2025-26 दिनांक 10 जुलाई, 2025 द्वारा “दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला” में (फीकल स्लज, सैप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन उपविधि) को प्रकाशित कराकर आपत्तियां एवं सुझाव आम जनमानस से 15 दिवस से अन्दर मांगे गये थे। निर्धारित अवधि तक आम जनमानस से कोई आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। जिसके उपरान्त कार्यालय के पत्र संख्या-162/नगर पंचायत हरदुआगंज /2025-26 दिनांक 04 अगस्त, 2025 द्वारा “दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान” तथा “दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला” में अनुमोदित किया गया। इस उपविधि को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या-03 में दिनांक 12 मार्च, 2025 को सर्वसम्मति से लागू किये जाने हेतु स्वीकार किया गया है।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़ की (फीकल स्लज, सैप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन उपविधि 2025) अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़ सीमान्तर्गत लागू होगी।

अध्याय-1

प्रारंभिक—

1— लघु—शीर्षक और प्रारम्भ—

i. इन विनियमों को “हरदुआगंज फीकल स्लज, सैप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2022” कहा जायेगा।

ii. ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से हरदुआगंज नगर पंचायत की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2— परिभाषाएँ—

i. “एक्सेस कवर” से तात्पर्य है— निरीक्षण सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

ii. नगर पंचायत हरदुआगंज “पंजीकृत वैक्यूम टैंकर” से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

iii. “विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (D.W.W.T.)” एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

iv. “निर्दिष्ट अधिकारी” से तात्पर्य है— नगर पंचायत हरदुआगंज “ का ऐसा अधिकारी, जिस अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

v. “डी-स्लजिंग” से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पंचायत हरदुआगंज के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है

vi. “निपटान” से एफ0एस0एन0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

vii. “उत्प्रवाही” किसी ओ0एस0एस0 से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

viii. “फीकल स्लज” से ओ0एस0एस0 की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर दर घर, शहर दर शहर और देश दर देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) में भू-जल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

ix. “फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.S.T.P.)” सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफ0एस0एस0 ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) भी अभिप्रेत किया जा सकता है अगर वहां फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

x. “लाइसेंस” से तात्पर्य है— नगर पंचायत हरदुआगंज” किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें नगर पंचायत हरदुआगंज के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

xi. “लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर” से तात्पर्य है—डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

xii. "अधिसूचित स्थान" से तात्पर्य है—एफ०एस०एस० पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

xiii. "ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था "(O.S.S.)" ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहां पर वह उत्पन्न होता है।

xiv. "प्रचालक" से तात्पर्य है— एफ०एस०एस० के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

xv. "व्यक्ति" प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कंपनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

xvi. "शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग" सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सी०पी०एच०ई०ई०ओ०) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओ०एस०एस० को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

xvii. "सेप्टेज " सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

xviii. "सीवेज " अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

xix. "सीवर " से तात्पर्य है— समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाईन।

xx. "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट " से तात्पर्य है— वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनःउपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

xxi. "कार्यबल " से तात्पर्य है— शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

xxii. नगर पंचायत हरदुआगंज के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ०एस०एस०) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

xxiii. "परिवहन" से तात्पर्य है— (N.P.H.) पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ०एस०एस० को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

xxiv. "ट्रीटमेंट" से तात्पर्य है— प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ०एस०एस०/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया,

xxv. "वैक्यूम टैंकर" एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ०एस०एस० को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंच व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफ०एस०एस० के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

xxvi. "अपशिष्ट जल" से तात्पर्य है— घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और

यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबंधन—

3— परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान— प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

i. यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

ii. अपशिष्ट जल को नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अनुमोदित समुदारय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

iii. जिस संपत्ति से प्रतिदिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सकें। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/पलशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

iv. परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

4— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

i. ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: अशोधित “मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0” के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत हरदुआगंज या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

ii. ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

iii. परिसर का मालिक/धारक नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

iv. परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

v. परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर नगर पंचायत हरदुआगंज या के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मों के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

vi. नगर पंचायत हरदुआगंज या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत हरदुआगंज परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

vii. नगर पंचायत हरदुआगंज अपने विवेक से, सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

5— नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

i. नगर पंचायत हरदुआगंज निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में हरदुआगंज शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

ii. नगर पंचायत हरदुआगंज अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii. एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

iv. नगर पंचायत हरदुआगंज एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

v. लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

vi. नगर पंचायत हरदुआगंज आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। नगर पंचायत हरदुआगंज अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पंचायत हरदुआगंज को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय नगर पंचायत हरदुआगंज में मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6— लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड—

i. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन विनियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित “व्यक्ति” है।

ii. आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होना चाहिए।

iii. हरदुआगंज में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

iv. आवेदक नगर पंचायत हरदुआगंज के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

v. आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

vi. आवेदक नगर पंचायत हरदुआगंज अथवा नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

vii. आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7— लाइसेंस के लिए आवेदन— एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पंचायत हरदुआगंज के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

8— लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण— नगर पंचायत हरदुआगंज अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, सम्भावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9— लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क— नगर पंचायत हरदुआगंज लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पंचायत हरदुआगंज के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10— परफॉरमेंस गारंटी— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जायेगा।

11— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार— नगर पंचायत हरदुआगंज समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12— जागरूकता अभियान— नगर पंचायत हरदुआगंज इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-5

एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—

13— संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—

i. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पंचायत हरदुआगंज के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत हरदुआगंज के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

ii. मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग/स्लजरो को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान के रिकार्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—

i. एफ0एस0एस0 की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को नगर पंचायत हरदुआगंज के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

ii. जब नगर पंचायत हरदुआगंज शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथवा इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

iii. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा/करेगी।

iv. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क के अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन—

i. एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों या नगर पंचायत हरदुआगंज के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।

ii. वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

iii. एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा चिन्हित किया जायेगा) पर ही चलना होगा।

iv. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

v. वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

vi. एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जायेंगे।

16— परिवहन के दौरान सावधानियां— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17— दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय— एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

18— दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता— किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुये किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया गया है।

19— तैनात कर्मी/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय—लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” में तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20— एफ0एस0एस0 का निपटान—

i. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

ii. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म नगर पंचायत हरदुआगंज के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगी/करेगी।

21— कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण—लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22— कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पंचायत हरदुआगंज को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

23— बीमा—एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013” और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

24— लाइसेंस रद्द करना—इन विनियमों सहित “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013” के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्य बल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉरमेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान

25— उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान—नगर पंचायत हरदुआगंज ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत हरदुआगंज के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26— एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन—नगर पंचायत हरदुआगंज आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाए गए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27— एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती—प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु नगर पंचायत हरदुआगंज पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28— एफ0एस0एस0 प्राप्त का समय— नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर नगर पंचायत हरदुआगंज के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

29— औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए— औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30— एफ0एस0एस0एम0 में प्रशिक्षण— नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

31— उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का पुनः उपयोग—

i. नगर पंचायत हरदुआगंज किसानों को अनुपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ0एस0एस0टी0पी0 से उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ii. नगर पंचायत हरदुआगंज शहर में डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

iii. किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आसपास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिये करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पंचायत हरदुआगंज से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32— प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

i. इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

ii. डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएँ प्रदान करने के लिए नगर पंचायत हरदुआगंज समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33— निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार— इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34— उल्लंघन और दण्ड—

i. इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

ii. (कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति-(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, (ख) न विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये

अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पंचायत हरदुआगंज के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

iii. इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ0एस0एस0 परिवहन वाहन, एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

iv. जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

v. संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35— अपील—कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पंचायत हरदुआगंज के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्य बल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36— विवाद समाधान उपबंध—कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल हरदुआगंज शहर होगा।

37— संदर्भ दस्तावेज— नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

38— राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे— राज्य सरकार न नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0 के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें—

1— मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पंचायत हरदुआगंज नगर पंचायत हरदुआगंज से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

2— मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण एवं परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

3— एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

4— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

5— डिस्लजिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

6— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

7— किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

9— वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिह्नित किया जायेगा।

10— लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टी0पी0/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

11— एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना, बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सकें।

12— लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

13— लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय नगर पंचायत हरदुआगंज को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

14— एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

15— इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट-5

दण्ड और जुर्माना—

{ इस विनियम के खंड 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25, 26 और 31 को देखें }

क्र० सं०	विवरण	विनियम	सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य दण्डात्मक रूप से कार्यवाही)
1	2	3	4	5
			रुपये	
1.1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन	3	50	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	3	50	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	3	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओ०एस०एस० का अवैज्ञानिक डिजाईन और निर्माण	4	50	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	4	50	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	4	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बी०एन०पी०पी० पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकर(रों) को आपरेट करना	5	50	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	5	50	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	5	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
4.1	यातायात नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण(णों) के बिना वैक्यूम टैंकर(रों) को आपरेट करना	6	50	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	6	50	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	6	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैर-अनुपालन	17, 18	1,000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	17, 18	1,000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	17, 18	100 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफ०एस०एस०टी०पी०/एस०टी०पी० से अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	100 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
7.1	नगर पंचायत हरदुआगंज द्वारा अधिसूचित स्थान के अलावा अनुपचारित एफ०एस०एस० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

(ह०) अस्पष्ट,
अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत हरदुआगंज ,
अलीगढ़।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या-1, सन् 1966)
(उ०प्र० अधिनियम संख्या-7, द्वारा संशोधित)
धारा-32(1) के अन्तर्गत अधिसूचना
नोटिस

दिनांक : 22 जनवरी, 2026 ई०

सं० 1903/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-“भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड, प्रतापगढ़” (जिसका प्रथम बार प्रकाशन, उक्त अधिनियम की धारा-28 के अधीन उ०प्र० गजट दिनांक 15 फरवरी, 2025 के भाग-8, पृष्ठ-195 से 198 पर हुआ था) के लिए उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम-टेऊंगा, बड़नपुर, भुपियामऊ एवं जहनईपुर के सम्बन्ध में पत्र संख्या-1917/आठ-2-25-01 एच०बी०/2025, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-02, लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2025 द्वारा परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-31(2) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अतः उक्त योजनान्तर्गत ग्राम-टेऊंगा, बड़नपुर, भुपियामऊ एवं जहनईपुर, परगना व तहसील-सदर, जिला-प्रतापगढ़ की अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	गाटा सं०/ खसरा सं०	गाटों का कुल क्षेत्रफल आकार पत्र-41 एवं 45 के अनुसार	धारा-28 के अन्तर्गत गाटों का क्षेत्रफल	नियोजन समिति द्वारा आसुधार शुल्क लिये जाने के शर्त के अधीन अर्जन मुक्त क्षेत्रफल	योजना में अर्जित किये जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
	ग्राम टेऊंगा				
1	1697	0.1170	0.1053	0.0000	0.1053
2	1706	0.0530	0.0530	0.0000	0.0530
3	1707 / 1	0.0560	0.2640	0.0113	0.2527
4	1707 / 2	0.1060	„	„	„
5	1707 / 3	0.1020	„	„	„
6	1708	0.1270	0.1270	0.0090	0.1180
7	1709 / 1	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
8	1709 / 2	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
9	1709 / 3	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
10	1710	0.1530	0.1530	0.0000	0.1530
11	1711	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
12	1712	0.3970	0.3970	0.0000	0.3970
13	1713	0.6490	0.6490	0.0850	0.5640
14	1714	0.1680	0.1680	0.0000	0.1680
15	1715	0.1680	0.1680	0.0520	0.1160
16	1716	1.7470	1.7470	0.0780	1.6690
17	1717	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
18	1718	0.1130	0.1130	0.0220	0.0910
19	1719	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
20	1720	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
21	1721	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
22	1722	0.1270	0.1270	0.0080	0.1190
23	1723	0.0810	0.0810	0.0250	0.0560
24	1724	0.3430	0.3430	0.0480	0.2950
25	1725	0.3350	0.3350	0.0972	0.2378

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम टेऊंगा					
26	1726	0.9160	0.9160	0.0635	0.8525
27	1727	0.0700	0.0700	0.0000	0.0700
28	1728	0.9040	0.9040	0.9040	0.0000
29	1729	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
30	1730	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
31	1731	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
32	1732	0.4970	0.4970	0.0000	0.4970
33	1733	0.1080	0.1080	0.0000	0.1080
34	1734	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
35	1735	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
36	1736	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
37	1737	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
38	1738	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580
39	1739 क	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
40	1739 ख	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
41	1739 ग	0.1390	0.1390	0.0171	0.1219
42	1739 घ	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
43	1740 क	0.0780	0.0780	0.0180	0.0600
44	1740 ख	0.2340	0.2340	0.1366	0.0974
45	1741 क	0.1520	0.1520	0.0100	0.1420
46	1741 ख	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
47	1741 ग	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
48	1741 घ	0.1840	0.1840	0.0000	0.1840
49	1741 ङ	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
50	1741 च	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
51	1742	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
52	1742 क	0.1550	0.1550	0.0000	0.1550
53	1742 ख	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
54	1742 ग	0.1050	0.1050	0.0000	0.1050
55	1743 क	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
56	1743 ख	0.1420	0.1420	0.0000	0.1420
57	1744	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
58	1745	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
59	1746	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
60	1747	0.0600	0.0600	0.0000	0.0600
61	1748	0.0600	0.0600	0.0158	0.0442
62	1749 क	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	1749 ख	0.0750	0.1360	0.1360	0.0000
64	1749 ग	0.0610	„	„	„
65	1750 / 1	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
66	1750 / 2	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
67	1751	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
68	1752	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
	ग्राम टेऊंगा				
69	1753	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
70	1754	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
71	1755	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
72	1756	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580
73	1757	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
74	1758	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
75	1759	0.3650	0.3650	0.3650	0.0000
76	1760	0.0770	0.0770	0.0000	0.0770
77	1761	0.5990	0.5990	0.0000	0.5990
78	1762	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
79	1763	0.0380	0.0380	0.0100	0.0280
80	1764	0.1280	0.1280	0.0000	0.1280
81	1765	0.5990	0.5990	0.0485	0.5505
82	1766	0.1200	0.1200	0.0000	0.1200
83	1767	0.0960	0.0960	0.0050	0.0910
84	1768 क	0.1260	0.1260	0.0060	0.1200
85	1768 ख	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
86	1768 ग	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
87	1769	1.1940	1.1940	0.0000	1.1940
88	1770	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
89	1771	0.3370	0.3370	0.0000	0.3370
90	1772	0.3400	0.3400	0.0000	0.3400
91	1773	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
92	1774	1.2350	1.2350	0.0000	1.2350
93	1775	0.9100	0.9100	0.0000	0.9100
94	1776	0.4170	0.4170	0.0000	0.4170
95	1777	0.1410	0.1410	0.0000	0.1410
96	1778	0.7960	0.7960	0.0000	0.7960
97	1779	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
98	1780	0.8660	0.8660	0.8660	0.0000
99	1781	0.2960	0.2960	0.0112	0.2848
100	1782	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
101	1783	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000
102	1784	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
103	1785	0.1130	0.1130	0.1130	0.0000
104	1786	0.2330	0.2330	0.0000	0.2330
105	1787	0.0090	0.0090	0.0000	0.0090
106	1788	0.2590	0.2590	0.0000	0.2590
107	1789 क	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
108	1789 ख	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
109	1789 ग	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
110	1789 घ	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
111	1790 क	0.0620	0.0620	0.0000	0.0620

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम टेऊंगा					
112	1790 ख	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
113	1791	0.0320	0.0320	0.0185	0.0135
114	1792	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
115	1793	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
116	1794	0.3720	0.3720	0.0181	0.3539
117	1795	0.0660	0.0660	0.0195	0.0466
118	1796	0.7930	0.7930	0.0000	0.7930
119	1797	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
120	1798	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
121	1799	0.4710	0.4710	0.0000	0.4710
122	1800	0.2540	0.2540	0.0000	0.2540
123	1801	0.2370	0.2370	0.0000	0.2370
124	1802	0.4520	0.4520	0.0000	0.4520
125	1803	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
126	1804	0.0830	0.0830	0.0450	0.0380
127	1805	0.0390	0.0390	0.0390	0.0000
128	1806	0.3160	0.3160	0.1494	0.1666
129	1807	0.0130	0.0130	0.0130	0.0000
130	1808	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
131	1809 क	0.1440	0.1440	0.0755	0.0686
132	1809 ख	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
133	1810	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
134	1811	0.8260	0.8260	0.3575	0.4685
135	1812	0.1220	0.1220	0.1220	0.0000
136	1813 / 1	0.6070	0.6070	0.0325	0.5745
137	1813 / 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
138	1814	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
139	1815	0.4550	0.4550	0.0000	0.4550
140	1815 / 1	0.2340	0.2340	0.0000	0.2340
141	1816	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
142	1817	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
143	1818	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
144	1819	1.9470	1.9470	0.7467	1.2003
145	1820	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
146	1821	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
147	1822	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
148	1823	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
149	1824	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
150	1825	0.0530	0.0530	0.0000	0.0530
151	1826	0.2020	0.2020	0.0000	0.2020
152	1827	0.5530	0.5530	0.0615	0.4915
153	1828	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
154	1829	0.2460	0.2460	0.0000	0.2460

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम टेऊंगा					
155	1830	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
156	1831	0.2730	0.2730	0.0000	0.2730
157	1832	0.1320	0.1320	0.0000	0.1320
158	1833	0.1230	0.1230	0.0000	0.1230
159	1834	0.1330	0.1330	0.0000	0.1330
160	1835	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
161	1836	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
162	1837	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
163	1838	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
164	1839	0.0680	0.0680	0.0000	0.0680
165	1840 क	0.6120	0.6120	0.0460	0.5660
166	1840 ख	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
167	1841	0.3370	0.3370	0.0096	0.3274
168	1842	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
169	1843	0.7880	0.7880	0.0000	0.7880
170	1844	0.1080	0.1080	0.0390	0.0690
171	1845	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
172	1846	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
173	1847 / 1	0.0830	0.2850	0.0187	0.2663
174	1847 / 2	0.0630	”	”	”
175	1847 / 3	0.0380	”	”	”
176	1847 / 4	0.0380	”	”	”
177	1847 / 5	0.0000	”	”	”
178	1847 / 6	0.0630	”	”	”
179	1848	0.3290	0.3290	0.0280	0.3010
180	1849	0.2150	0.2150	0.0000	0.2150
181	1850	0.0340	0.0340	0.0000	0.0340
182	1851 / 1	0.0000	0.6260	0.0025	0.6235
183	1851 / 2	0.3950	”	”	”
184	1851 / 3	0.0550	”	”	”
185	1851 / 4	0.0630	”	”	”
186	1851 / 5	0.1130	”	”	”
187	1852	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
188	1853 क	0.0830	0.0830	0.0000	0.0830
189	1853 ख	0.2910	0.2910	0.0000	0.2910
190	1854	0.1630	0.1630	0.0000	0.1630
191	1855	1.6070	1.6070	0.0000	1.6070
192	1856	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
193	1857	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
194	1858	0.0700	0.0700	0.0000	0.0700
195	1859 क	0.2020	0.2020	0.0000	0.2020
196	1859 ख	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
197	1859 ग	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
	ग्राम टेऊंगा				
198	1859 घ	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
199	1860	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
200	1861	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
201	1862	0.1590	0.1590	0.0000	0.1590
202	1863	1.0240	1.0240	0.4534	0.5706
203	1864	0.0740	0.0740	0.0000	0.0740
204	1865	0.0810	0.0810	0.0000	0.0810
205	1866	0.1080	0.1080	0.0000	0.1080
206	1867	1.0670	1.0670	0.0000	1.0670
207	1868 / 1	0.2100	0.2100	0.0000	0.2100
208	1868 / 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
209	1868 / 3	0.2560	0.2560	0.0000	0.2560
210	1868 / 4	1.6500	1.6500	0.0000	1.6500
211	1868 / 5	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
212	1868 / 6	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
213	1869	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
214	1870	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
215	1871	0.3880	0.3880	0.0000	0.3880
216	1872	0.3760	0.3760	0.0000	0.3760
217	1873	0.0610	0.0610	0.0000	0.0610
218	1874	1.0330	1.0330	0.0000	1.0330
219	1875 / 1	0.1680	0.1680	0.1680	0.0000
220	1875 / 2	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
221	1876	0.5720	0.5720	0.0000	0.5720
222	1877	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
223	1878	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
224	1879	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
225	1880	0.2160	0.2160	0.0000	0.2160
226	1881	0.1310	0.1310	0.0000	0.1310
227	1882	0.4190	0.4190	0.0000	0.4190
228	1883	0.9600	0.9600	0.0000	0.9600
229	1884	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
230	1885	0.4130	0.4130	0.0000	0.4130
231	1886	0.5090	0.5090	0.0000	0.5090
232	1887	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
233	1888 / 1	0.4490	0.4490	0.0000	0.4490
234	1888 / 2	0.2200	0.2200	0.0000	0.2200
235	1888 / 3	0.2300	0.2300	0.0000	0.2300
236	1889 क	0.1900	0.1900	0.0000	0.1900
237	1889 ख	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
238	1890	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
239	1891	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम टेऊंगा					
240	1892	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
241	1893	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
242	1894	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
243	1895	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
244	1896	0.3460	0.3460	0.0000	0.3460
245	1897	0.8360	0.8360	0.0000	0.8360
246	1898	0.5760	0.5760	0.0000	0.5760
247	1899	0.1790	0.1790	0.0000	0.1790
248	1900	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
249	1901	0.1000	0.1000	0.0000	0.1000
250	1902	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460
251	1903	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
252	1904	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
253	1905	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
254	1906	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
255	1907	0.1060	0.1060	0.0000	0.1060
256	1908	0.1060	0.1060	0.0000	0.1060
257	1909	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460
258	1910	0.1580	0.1580	0.0000	0.1580
259	1911	0.6560	0.6560	0.0000	0.6560
260	1912	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
261	1913	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
262	1914	0.4950	0.4950	0.0000	0.4950
263	1915	0.3700	0.3700	0.0000	0.3700
264	1916	0.1880	0.1880	0.0000	0.1880
265	1917	0.1570	0.1570	0.0000	0.1570
266	1918	0.2400	0.2400	0.0000	0.2400
267	1919	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
268	1920	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
269	1921	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
270	1922	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
271	1923	0.1980	0.1980	0.0000	0.1980
272	1924	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
273	1925	0.1790	0.1790	0.0000	0.1790
274	1926	0.5050	0.5050	0.0000	0.5050
275	1927	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
276	1928	0.2570	0.2570	0.0000	0.2570
277	1929	0.1280	0.1280	0.0000	0.1280
278	1930	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
279	1931	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
280	1932	0.1470	0.1470	0.0000	0.1470
281	1933	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम टेऊंगा					
282	1934	0.1600	0.1600	0.0000	0.1600
283	1935	0.1470	0.1470	0.0000	0.1470
284	1936	0.0270	0.0270	0.0000	0.0270
285	1705 / 1947	0.0510	0.0000	0.0000	0.0000
286	1915 / 1972	0.0470	0.0470	0.0000	0.0470
287	1715 / 1956	0.0370	0.0370	0.0000	0.0370
288	1715 / 1971	0.0500	0.0500	0.0190	0.0310
289	1715 / 1970	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
290	1867 / 1973	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
291	1882 / 1961	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
292	1710 / 1952	0.0630	0.0630	0.0091	0.0539
293	1918 / 1962	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
294	1656 / 1953	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000
295	1880 / 1955	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
296	1815 / 1958	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
297	1754 / 1938	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
TOTAL-A		59.3880	59.3193	6.7866	52.5327
ग्राम बड़नपुर					
298	504	0.0900	0.0900	0.0220	0.0680
299	504 / 1	0.0900	0.0900	0.0260	0.0640
300	505	0.1450	0.1450	0.0431	0.1019
301	506	0.0580	0.0580	0.0270	0.0310
302	507	0.1210	0.1210	0.0220	0.0990
303	507 / 1	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
304	508	0.1580	0.1580	0.1580	0.0000
305	509	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
306	510	0.1520	0.1520	0.1520	0.0000
307	511	0.3670	0.3670	0.1973	0.1697
308	512 क	0.4300	0.4300	0.4300	0.0000
309	512 ख	0.0890	„	„	„
310	512 ग	0.1520	0.5560	0.5560	0.0000
311	512 घ	0.3150	„	„	„
312	513	0.0440	0.0440	0.0148	0.0292
313	513 / 1	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
314	514	0.0170	0.0170	0.0000	0.0170
315	515	0.1350	0.1350	0.0000	0.1350
316	515 / 1	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
317	516	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
318	516 / 1	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
319	517	0.1640	0.1640	0.0250	0.1390
320	518	0.1190	0.1190	0.0000	0.1190
321	519	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
322	520	0.1480	0.1480	0.0000	0.1480

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम बड़नपुर					
323	521	0.1040	0.1040	0.0000	0.1040
324	522	0.0590	0.0590	0.0000	0.0590
325	522 / 1	0.6650	0.6650	0.0000	0.6650
326	523	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
327	523 / 1	0.3300	0.3300	0.0000	0.3300
328	524	0.0340	0.0340	0.0000	0.0340
329	525	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
330	525 / 1	0.8000	0.8000	0.0000	0.8000
331	526	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
332	526 / 1	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
333	527	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
334	527 / 1	0.3060	0.3060	0.0000	0.3060
335	528	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
336	528 / 1	0.1780	0.1780	0.0000	0.1780
337	529	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
338	530	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
339	531	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
340	532	0.0680	0.0680	0.0000	0.0680
341	533	0.0800	0.0800	0.0000	0.0800
342	533 / 1	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
343	534	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
344	534 / 1	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
345	535	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
346	535 / 1	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
347	536क	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
348	536ख	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
349	537	0.1680	0.1680	0.0000	0.1680
350	538	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
351	538 / 1	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
352	539	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
353	539 / 1	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
354	540	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
355	540 / 1	0.3130	0.3130	0.0000	0.3130
356	541	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010
357	541 / 1	0.0880	0.0880	0.0000	0.0880
358	542	0.2140	0.2140	0.0000	0.2140
359	543	0.0830	0.0830	0.0000	0.0830
360	544	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
361	545	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
362	545 / 1	0.3930	0.3930	0.0000	0.3930
363	546	0.0020	0.0020	0.0000	0.0020
364	546 / 1	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
365	547	0.1720	0.1720	0.0000	0.1720

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम बड़नपुर					
366	548	0.7840	0.7840	0.0000	0.7840
367	549	0.2260	0.2260	0.0000	0.2260
368	550	0.1130	0.1130	0.0000	0.1130
369	551	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
370	552	0.1460	0.1460	0.0000	0.1460
371	553	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000
372	554	0.0950	0.0950	0.0473	0.0477
373	554 / 1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
374	554 / 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
375	555	0.0270	0.0270	0.0000	0.0270
376	557	0.0570	0.0570	0.0570	0.0000
377	558	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
378	559	0.1760	0.1760	0.0200	0.1560
379	560	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
380	561	0.3810	0.3810	0.0405	0.3405
381	562	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
382	563	0.1110	0.1110	0.1110	0.0000
383	563 / 1	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
384	564	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
385	565	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
386	565 / 1	0.0970	0.0970	0.0970	0.0000
387	565 / 2	0.0970	0.0970	0.0970	0.0000
388	566	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
389	567	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
390	568क	0.0320	0.0320	0.0320	0.0000
391	568ख	0.0360	0.0360	0.0180	0.0180
392	569	0.0410	0.0410	0.0155	0.0255
393	570	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
394	571	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
395	572	0.0380	0.0380	0.0130	0.0250
396	573	0.0480	0.0480	0.0480	0.0000
397	574	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
398	575	0.3330	0.3330	0.0940	0.2390
399	576	0.3110	0.3110	0.0000	0.3110
400	577	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
401	577 / 1	0.5990	0.5990	0.0730	0.5260
402	578	0.0210	0.0210	0.0000	0.0210
403	579	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
404	580	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
405	580 / 1	0.2000	0.2000	0.0000	0.2000
406	581	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
407	582	0.1980	0.1980	0.0000	0.1980
408	583	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
	ग्राम बड़नपुर				
409	584	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
410	585	0.1910	0.1910	0.0503	0.1407
411	586	0.1260	0.1260	0.0160	0.1100
412	587	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
413	588	0.0210	0.0210	0.0000	0.0210
414	588 / 1	0.8610	0.8610	0.0285	0.8325
415	589	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
416	590	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
417	593	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
418	593 / 1	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
419	594	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
420	595	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
421	596	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
422	596 / 1	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
423	597	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
424	598	0.4790	0.4790	0.0000	0.4790
425	599	0.0240	0.0240	0.0000	0.0240
426	599 / 1	0.2110	0.2110	0.0000	0.2110
427	600	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
428	601	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
429	601 / 1	0.2090	0.2090	0.0000	0.2090
430	602	0.0020	0.0020	0.0000	0.0020
431	602 / 1	0.3020	0.3020	0.0000	0.3020
432	603	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
433	604	0.3070	0.3070	0.0000	0.3070
434	605	0.0090	0.0090	0.0000	0.0090
435	605 / 1	0.4120	0.4120	0.0000	0.4120
436	606	0.1910	0.1910	0.0000	0.1910
437	607	0.1190	0.1190	0.0000	0.1190
438	608	0.2850	0.2850	0.0000	0.2850
439	609	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
440	609 / 1	1.0680	1.0680	0.0000	1.0680
441	610	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
442	611	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
443	612 क	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
444	612 ख	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
445	613	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
446	614	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
447	615	0.0880	0.0880	0.0000	0.0880
448	616	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
449	616 / 1	0.2320	0.2320	0.0000	0.2320
450	617	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
451	618	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम बड़नपुर					
452	618 / 1	0.2400	0.2400	0.0000	0.2400
453	619	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
454	620	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
455	620 / 1	0.1390	0.1390	0.0000	0.1390
456	621	0.1650	0.1650	0.0000	0.1650
457	622 क	0.5050	0.5050	0.0000	0.5050
458	622 ख	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
459	623	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
460	624	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
461	625	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
462	625 / 1	0.5860	0.5860	0.0000	0.5860
463	626	0.8800	0.8800	0.0000	0.8800
464	627	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
465	628	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
466	628 / 1	0.4760	0.4760	0.0000	0.4760
467	662	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
468	522 / 806	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
469	575 / 805	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
470	575 / 804	0.0107	0.0107	0.0000	0.0107
471	626 / 796	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
472	522 / 797	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
TOTAL- B		23.7997	23.7997	2.7103	21.0894
ग्राम भुपियामरु					
473	1	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
474	2 क	0.1880	0.1880	0.0000	0.1880
475	2 ख	0.0710	0.0710	0.0055	0.0655
476	3	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
477	4 क	0.1090	0.1090	0.1090	0.0000
478	4 ख	0.0930	0.0930	0.0930	0.0000
479	5	0.2530	0.2530	0.0080	0.2450
480	6	0.3540	0.3540	0.0658	0.2882
481	7	0.2910	0.2910	0.0362	0.2548
482	8 क	0.1260	0.1260	0.0029	0.1231
483	8 ख	0.1260	0.1260	0.0060	0.1200
484	8 ग	0.1270	0.1270	0.0105	0.1165
485	8 घ	0.1270	0.1270	0.0000	0.1270
486	9	1.5980	1.5980	0.0000	1.5980
487	10 क	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
488	10 ख	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
489	11	0.3200	0.3200	0.0000	0.3200
490	12	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
491	13	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामरु					
492	14	0.1140	0.1140	0.0000	0.1140
493	15	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
494	16	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
495	17 क	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
496	17 ख	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
497	18	0.1010	0.1010	0.0242	0.0768
498	19 क	0.1970	0.1970	0.0000	0.1970
499	19 ख	0.1000	0.1000	0.0000	0.1000
500	20 क	0.1850	0.2280	0.1220	0.1060
501	20 ख	0.0430	”	”	”
502	21	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
503	22	0.1750	0.1750	0.0000	0.1750
504	23	0.0630	0.0630	0.0126	0.0504
505	24	0.0630	0.0630	0.0593	0.0037
506	25	1.0910	1.0910	0.0085	1.0825
507	26	0.5150	0.5150	0.0000	0.5150
508	27	0.5360	0.5360	0.0000	0.5360
509	28	1.3200	1.3200	0.1300	1.1900
510	29	0.1860	0.1860	0.0000	0.1860
511	30	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
512	31	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
513	32	0.2590	0.2590	0.0000	0.2590
514	33	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
515	34	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
516	35	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
517	36	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
518	37	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
519	38	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460
520	39	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
521	39 / 1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
522	40	0.6620	0.6620	0.0190	0.6430
523	41	0.6380	0.6380	0.0000	0.6380
524	42	0.1800	0.1800	0.0000	0.1800
525	43	0.2380	0.2380	0.0979	0.1401
526	44	0.3330	0.3330	0.0000	0.3330
527	45	0.0680	0.0680	0.0000	0.0680
528	46	0.1020	0.1020	0.0000	0.1020
529	47	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010
530	48	0.1220	0.1220	0.0000	0.1220
531	49	0.1240	0.1240	0.0000	0.1240
532	50	0.2940	0.2940	0.0000	0.2940
533	51	0.2570	0.2570	0.0000	0.2570

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामरु					
534	52	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
535	53	0.3150	0.3150	0.0000	0.3150
536	54	0.1100	0.1100	0.0000	0.1100
537	55	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
538	56	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
539	57	1.1070	1.1070	0.0000	1.1070
540	58	1.4430	1.4430	0.0000	1.4430
541	59	0.2670	0.2670	0.0000	0.2670
542	60	0.8690	0.8690	0.0000	0.8690
543	61	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
544	62	0.8200	0.8200	0.0000	0.8200
545	63	0.1410	0.1410	0.0000	0.1410
546	64	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
547	65	0.0930	0.0930	0.0000	0.0930
548	66	0.2460	0.2460	0.0000	0.2460
549	67	0.1880	0.1880	0.0000	0.1880
550	68	0.5830	0.5830	0.0000	0.5830
551	69	0.8950	0.8950	0.0000	0.8950
552	70	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
553	71	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
554	72	0.0770	0.0770	0.0000	0.0770
555	73	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
556	74	2.2020	2.2020	0.0000	2.2020
557	75	0.6050	0.6050	0.0000	0.6050
558	76	0.1750	0.1750	0.0000	0.1750
559	77	0.1550	0.1550	0.0000	0.1550
560	78	0.1390	0.1390	0.0000	0.1390
561	79	0.1650	0.1650	0.0000	0.1650
562	80	0.5610	0.5610	0.0000	0.5610
563	81	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
564	82	0.2230	0.2230	0.0000	0.2230
565	83	0.2400	0.2400	0.0000	0.2400
566	84	0.2550	0.2550	0.0000	0.2550
567	87	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
568	88	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
569	89	0.0800	0.0800	0.0000	0.0800
570	90	0.1870	0.1870	0.0000	0.1870
571	91	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
572	92	0.0900	0.0900	0.0000	0.0900
573	93	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
574	94	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
575	95	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
576	96	0.0570	0.0570	0.0060	0.0510

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामरु					
577	97	0.0810	0.0810	0.0000	0.0810
578	98 क	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
579	98 ख	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
580	99	0.9250	0.9250	0.0000	0.9250
581	100 क	0.0470	0.0470	0.0369	0.0101
582	100 ख	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
583	100 ग	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
584	100 घ	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
585	101	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
586	102	0.3140	0.3140	0.0000	0.3140
587	103	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
588	104	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
589	105	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
590	106	0.2610	0.2610	0.0000	0.2610
591	107	0.1270	0.1270	0.0000	0.1270
592	108	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
593	109	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
594	110	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
595	111	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
596	112	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
597	113	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
598	114	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
599	115	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
600	116	0.3220	0.3220	0.0000	0.3220
601	117	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500
602	118	0.1250	0.1250	0.0440	0.0810
603	119	0.0860	0.0860	0.0170	0.0690
604	120	0.0790	0.0790	0.0300	0.0490
605	121	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
606	122 क	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
607	122 ख	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
608	123	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
609	124	0.2390	0.2390	0.0000	0.2390
610	125	0.0880	0.0880	0.0000	0.0880
611	126	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
612	127	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
613	128	0.1470	0.1470	0.0533	0.0937
614	129	0.1420	0.1420	0.0000	0.1420
615	130	0.1270	0.1270	0.0000	0.1270
616	131	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
617	132	0.6750	0.6750	0.0000	0.6750
618	133	0.3020	0.3020	0.0000	0.3020

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामरु					
619	134	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
620	135	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
621	136	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
622	141	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
623	142 क	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
624	142 ख	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
625	143	0.0410	0.0410	0.0268	0.0142
626	146 क	0.0460	0.0000	0.0000	0.0000
627	146 ख	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000
628	147 क	0.0570	1.3980	0.0221	1.3759
629	147 ख	0.1620	”	”	”
630	147 ग	0.6100	”	”	”
631	147 घ	0.5690	”	”	”
632	148	0.3060	0.3060	0.0000	0.3060
633	149	0.5920	0.5920	0.0000	0.5920
634	150	0.6950	0.6950	0.0000	0.6950
635	158	0.0470	0.0235	0.0000	0.0235
636	244	0.2610	0.2610	0.0000	0.2610
637	245	0.2880	0.2880	0.0000	0.2880
638	246	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
639	247	0.1810	0.1810	0.0000	0.1810
640	248	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
641	258	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
642	472	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
643	473	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
644	474	0.4640	0.4640	0.0000	0.4640
645	475	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
646	476	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
647	477	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
648	478	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
649	479	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
650	487	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
651	488	0.3440	0.3440	0.0000	0.3440
652	489	0.1330	0.1330	0.0000	0.1330
653	490 क	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
654	490 ख	0.6420	0.6420	0.1373	0.5047
655	491	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
656	492	0.0870	0.0870	0.0000	0.0870
657	493	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
658	494	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
659	495	0.5730	0.5730	0.0000	0.5730
660	496	0.6550	0.6550	0.0000	0.6550
661	497	0.2900	0.2900	0.0000	0.2900

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामरु					
662	498	0.0660	0.0660	0.0000	0.0660
663	499	0.0720	0.0720	0.0000	0.0720
664	500	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
665	501	0.0340	0.0340	0.0000	0.0340
666	502	0.1270	0.1270	0.0626	0.0644
667	503	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
668	504	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
669	505	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850
670	506	0.0440	0.0440	0.0310	0.0130
671	507	0.2500	0.2500	0.0482	0.2018
672	508	0.1500	0.1500	0.0029	0.1471
673	509	0.1400	0.1400	0.0000	0.1400
674	510	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
675	511	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
676	512	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
677	513	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
678	514	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
679	515	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
680	516	0.0290	0.0290	0.0221	0.0069
681	519	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
682	520	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
683	534	1.6860	1.6860	0.3744	1.3116
684	538	0.2710	0.2710	0.0334	0.2376
685	539	0.2400	0.2400	0.0431	0.1969
686	540	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
687	541 क	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
688	541 ख	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
689	541 ग	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
690	542	0.0660	0.0660	0.0660	0.0000
691	543	0.0370	0.0370	0.0000	0.0370
692	544	0.4800	0.4800	0.0000	0.4800
693	545	0.2480	0.2480	0.0000	0.2480
694	546	0.2970	0.2970	0.0000	0.2970
695	547	0.4380	0.4380	0.0000	0.4380
696	548	0.3080	0.3080	0.0000	0.3080
697	549	0.1180	0.1180	0.0000	0.1180
698	550	0.6950	0.6950	0.0000	0.6950
699	551	0.2950	0.2950	0.0000	0.2950
700	552	0.2390	0.2390	0.0000	0.2390
701	553	0.0840	0.0840	0.0000	0.0840
702	554	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
703	554 / 1	0.2600	0.2600	0.0000	0.2600
704	555	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामरु					
705	556	0.2920	0.2920	0.0000	0.2920
706	557	0.1980	0.1980	0.0000	0.1980
707	558	0.3370	0.3370	0.0000	0.3370
708	559	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
709	560	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
710	561	0.1630	0.1630	0.0000	0.1630
711	562	0.7720	0.7720	0.0000	0.7720
712	563	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
713	564	0.1870	0.1870	0.0000	0.1870
714	565	0.1000	0.1000	0.0000	0.1000
715	566	0.3810	0.3810	0.0000	0.3810
716	569	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
717	570	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
718	572	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
719	597	0.1490	0.0894	0.0000	0.0894
720	598	0.3510	0.3510	0.0000	0.3510
721	599	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
722	600	0.4230	0.4230	0.0000	0.4230
723	601 क	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
724	601 ख	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
725	601 ग	0.3670	0.3670	0.0000	0.3670
726	602	0.2250	0.2250	0.0000	0.2250
727	603	0.3910	0.3910	0.0000	0.3910
728	604	0.0900	0.0900	0.0000	0.0900
729	605	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
730	606	0.3740	0.3740	0.0000	0.3740
731	607	0.1230	0.1230	0.0000	0.1230
732	608	0.4120	0.4120	0.0000	0.4120
733	609	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
734	610	0.5550	0.5550	0.0000	0.5550
735	611	0.1440	0.1440	0.0000	0.1440
736	612 क	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
737	612 ख	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
738	612 ग	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
739	613 क	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
740	613 ख	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
741	613 ग	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
742	614	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
743	615	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
744	616	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
745	617	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950
746	619	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
	ग्राम भुपियामरु				
747	622	0.1660	0.1660	0.0000	0.1660
748	623	0.2160	0.2160	0.0122	0.2038
749	624	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
750	625	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
751	626	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
752	626 / 1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
753	627	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
754	628	0.2630	0.2630	0.0000	0.2630
755	629	1.1460	1.1460	0.0000	1.1460
756	630	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
757	631	3.1470	3.1470	0.2448	2.9022
758	632	0.1610	0.1610	0.0000	0.1610
759	633	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
760	634	0.1250	0.1250	0.0207	0.1043
761	635	0.3990	0.3990	0.0000	0.3990
762	636	0.0530	0.0530	0.0000	0.0530
763	637	0.4720	0.4720	0.0000	0.4720
764	638	0.3770	0.3770	0.0000	0.3770
765	639	0.5520	0.5520	0.0000	0.5520
766	640	0.2120	0.2120	0.0000	0.2120
767	641	0.0660	0.0660	0.0000	0.0660
768	663	0.1680	0.1126	0.0000	0.1126
769	664	0.2430	0.2430	0.0000	0.2430
770	665	0.2910	0.2910	0.0000	0.2910
771	666	0.3890	0.3890	0.0000	0.3890
772	128 / 1010	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
773	496 / 1001	0.0460	0.0000	0.0000	0.0000
774	496 / 1007	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
775	502 / 1020	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
776	496 / 1021	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
777	507 / 1019	0.0450	0.0450	0.0000	0.0450
778	567 / 1018	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
779	598 / 1052	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
780	631 / 1031	0.0980	0.0980	0.0000	0.0980
781	631 / 1032	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
782	631 / 1033	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
783	258 / 1008	0.5450	0.5450	0.0000	0.5450
784	258 / 1009	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
785	65 / 1050	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
786	603 / 1038	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010
787	24 / 1053	0.2839	0.2839	0.1140	0.1699
788	502 / 1047	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150

1	2	3	4	5	6
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
ग्राम भुपियामऊ					
789	502 / 1048	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
790	611 / 1022	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
TOTAL-C :		66.3169	65.9614	2.2592	63.7022
ग्राम जहनईपुर					
791	238	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
792	239	0.1230	0.1230	0.0000	0.1230
793	240अ	0.4360	0.4360	0.0000	0.4360
794	240ब	0.0370	0.0370	0.0000	0.0370
795	241	0.1180	0.1180	0.0000	0.1180
796	242	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
797	260	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
798	261	0.2770	0.2770	0.0000	0.2770
799	262	0.2640	0.2640	0.0000	0.2640
800	263	0.1440	0.1440	0.0000	0.1440
801	264	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
802	265	0.5640	0.5640	0.0000	0.5640
803	266	0.0660	0.0660	0.0050	0.0610
804	274	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
805	275	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
806	276	0.5560	0.5560	0.0000	0.5560
807	277अ	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
808	277ब	0.4580	0.4580	0.0000	0.4580
809	277स	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
810	278	0.1450	0.1450	0.0000	0.1450
811	279	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
812	280	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
813	281 अ	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
814	281 ब	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
815	282 अ	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
816	282 ब	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
817	283 अ	0.0980	0.0980	0.0000	0.0980
818	283 ब	0.0840	0.0840	0.0000	0.0840
819	284 अ	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250
820	284 ब	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
821	285	0.0620	0.0620	0.0000	0.0620
TOTAL-D		4.0760	4.0760	0.0050	4.0710
G.Total (A+B+C+D)=		153.5806	153.1564	11.7611	141.3953

डा० बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS AVAM VIKAS PARISHAD
[LAND ACQUISITION SECTION]
Notification under Section 32(1) of
Uttar Pradesh Housing and Development Board Act, 1965 (Act No. 1, 1966)
(Amended by Uttar Pradesh Act No. 7)

NOTICE

January 22, 2026

No. 1903/LAC-HQ-Under Section 32(1) of the Uttar Pradesh Housing and Development Board Act, 1965 (U.P. Act 1, 1966), it is hereby announced that the Uttar Pradesh State Government has exercised the rights conferred by Section 31(2) of the above Act. While doing this a scheme named "Bhoomi Vikas, Grihasthan Evam Bazar Yojna Katra Road, Pratapgarh" was published for the first time on the pages 195 to 198 of Part-VIII of Uttar Pradesh Gazette dated 15 February, 2025 under Section 28 of the said Act. In relation to the Villages included in the above scheme-Teonga, Badanpur, Bhupiyamau and Jahnaipur, Pargana and Tehsil-Sadar, District-Pratapgarh, Uttar Pradesh State Government's Order No.1917/VIII-2-25-01 H.B/2025, Housing and Urban Planning Section 02, Lucknow dated 21 November 2025, approval has been given subject to restrictions indicated.

The details of the list of land area to be acquired under the said scheme of Village-Teonga, Badanpur, Bhupiyamau and Jahnaipur, Pargana and Tehsil-Sadar, District-Pratapgarh are as follows:-

Sl. No	Gata No./ Khasra No.	Total Area of the Gata/Khasra as per revenue record on the basis of Ch-41 & 45	Area of the Gata included in the scheme as per section-28 notification	Area of land exempted from Acquisition as per recommendations of planning committee under the condition of levying betterment/ development charges	Net Area of land to be acquired under the scheme proposed for acquisition
1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
1	1697	0.1170	0.1053	0.0000	0.1053
2	1706	0.0530	0.0530	0.0000	0.0530
3	1707 / 1	0.0560	0.2640	0.0113	0.2527
4	1707 / 2	0.1060	"	"	"
5	1707 / 3	0.1020	"	"	"
6	1708	0.1270	0.1270	0.0090	0.1180
7	1709 / 1	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
8	1709 / 2	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
9	1709 / 3	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
10	1710	0.1530	0.1530	0.0000	0.1530
11	1711	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
12	1712	0.3970	0.3970	0.0000	0.3970
13	1713	0.6490	0.6490	0.0850	0.5640
14	1714	0.1680	0.1680	0.0000	0.1680
15	1715	0.1680	0.1680	0.0520	0.1160
16	1716	1.7470	1.7470	0.0780	1.6690
17	1717	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
18	1718	0.1130	0.1130	0.0220	0.0910
19	1719	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
20	1720	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
21	1721	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
22	1722	0.1270	0.1270	0.0080	0.1190
23	1723	0.0810	0.0810	0.0250	0.0560
24	1724	0.3430	0.3430	0.0480	0.2950
25	1725	0.3350	0.3350	0.0972	0.2378

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
26	1726	0.9160	0.9160	0.0635	0.8525
27	1727	0.0700	0.0700	0.0000	0.0700
28	1728	0.9040	0.9040	0.9040	0.0000
29	1729	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
30	1730	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
31	1731	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
32	1732	0.4970	0.4970	0.0000	0.4970
33	1733	0.1080	0.1080	0.0000	0.1080
34	1734	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
35	1735	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
36	1736	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
37	1737	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
38	1738	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580
39	1739 Ka	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
40	1739 Kha	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
41	1739 Ga	0.1390	0.1390	0.0171	0.1219
42	1739 Gha	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
43	1740 Ka	0.0780	0.0780	0.0180	0.0600
44	1740 Kha	0.2340	0.2340	0.1366	0.0974
45	1741 Ka	0.1520	0.1520	0.0100	0.1420
46	1741 Kha	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
47	1741 Ga	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
48	1741 Gha	0.1840	0.1840	0.0000	0.1840
49	1741 Anga	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
50	1741 Ch	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
51	1742	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
52	1742 Ka	0.1550	0.1550	0.0000	0.1550
53	1742 Kha	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
54	1742 Ga	0.1050	0.1050	0.0000	0.1050
55	1743 Ka	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
56	1743 Kha	0.1420	0.1420	0.0000	0.1420
57	1744	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
58	1745	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
59	1746	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
60	1747	0.0600	0.0600	0.0000	0.0600
61	1748	0.0600	0.0600	0.0158	0.0442
62	1749 Ka	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	1749 Kha	0.0750	0.1360	0.1360	0.0000
64	1749 Ga	0.0610	„	„	„
65	1750 / 1	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
66	1750 / 2	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
67	1751	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
68	1752	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
69	1753	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
70	1754	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
71	1755	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
72	1756	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580
73	1757	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
74	1758	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
75	1759	0.3650	0.3650	0.3650	0.0000
76	1760	0.0770	0.0770	0.0000	0.0770
77	1761	0.5990	0.5990	0.0000	0.5990
78	1762	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
79	1763	0.0380	0.0380	0.0100	0.0280
80	1764	0.1280	0.1280	0.0000	0.1280
81	1765	0.5990	0.5990	0.0485	0.5505
82	1766	0.1200	0.1200	0.0000	0.1200
83	1767	0.0960	0.0960	0.0050	0.0910
84	1768 Ka	0.1260	0.1260	0.0060	0.1200
85	1768 Kha	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
86	1768 Ga	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
87	1769	1.1940	1.1940	0.0000	1.1940
88	1770	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
89	1771	0.3370	0.3370	0.0000	0.3370
90	1772	0.3400	0.3400	0.0000	0.3400
91	1773	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
92	1774	1.2350	1.2350	0.0000	1.2350
93	1775	0.9100	0.9100	0.0000	0.9100
94	1776	0.4170	0.4170	0.0000	0.4170
95	1777	0.1410	0.1410	0.0000	0.1410
96	1778	0.7960	0.7960	0.0000	0.7960
97	1779	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
98	1780	0.8660	0.8660	0.8660	0.0000
99	1781	0.2960	0.2960	0.0112	0.2848
100	1782	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
101	1783	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000
102	1784	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
103	1785	0.1130	0.1130	0.1130	0.0000
104	1786	0.2330	0.2330	0.0000	0.2330
105	1787	0.0090	0.0090	0.0000	0.0090
106	1788	0.2590	0.2590	0.0000	0.2590
107	1789 Ka	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
108	1789 Kha	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
109	1789 Ga	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
110	1789 Gha	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
111	1790 Ka	0.0620	0.0620	0.0000	0.0620

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
112	1790 Kha	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
113	1791	0.0320	0.0320	0.0185	0.0135
114	1792	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
115	1793	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
116	1794	0.3720	0.3720	0.0181	0.3539
117	1795	0.0660	0.0660	0.0195	0.0466
118	1796	0.7930	0.7930	0.0000	0.7930
119	1797	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
120	1798	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
121	1799	0.4710	0.4710	0.0000	0.4710
122	1800	0.2540	0.2540	0.0000	0.2540
123	1801	0.2370	0.2370	0.0000	0.2370
124	1802	0.4520	0.4520	0.0000	0.4520
125	1803	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
126	1804	0.0830	0.0830	0.0450	0.0380
127	1805	0.0390	0.0390	0.0390	0.0000
128	1806	0.3160	0.3160	0.1494	0.1666
129	1807	0.0130	0.0130	0.0130	0.0000
130	1808	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
131	1809 Ka	0.1440	0.1440	0.0755	0.0686
132	1809 Kha	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
133	1810	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
134	1811	0.8260	0.8260	0.3575	0.4685
135	1812	0.1220	0.1220	0.1220	0.0000
136	1813 / 1	0.6070	0.6070	0.0325	0.5745
137	1813 / 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
138	1814	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
139	1815	0.4550	0.4550	0.0000	0.4550
140	1815 / 1	0.2340	0.2340	0.0000	0.2340
141	1816	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
142	1817	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
143	1818	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
144	1819	1.9470	1.9470	0.7467	1.2003
145	1820	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
146	1821	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
147	1822	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
148	1823	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
149	1824	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
150	1825	0.0530	0.0530	0.0000	0.0530
151	1826	0.2020	0.2020	0.0000	0.2020
152	1827	0.5530	0.5530	0.0615	0.4915
153	1828	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
154	1829	0.2460	0.2460	0.0000	0.2460

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
155	1830	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
156	1831	0.2730	0.2730	0.0000	0.2730
157	1832	0.1320	0.1320	0.0000	0.1320
158	1833	0.1230	0.1230	0.0000	0.1230
159	1834	0.1330	0.1330	0.0000	0.1330
160	1835	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
161	1836	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
162	1837	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
163	1838	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
164	1839	0.0680	0.0680	0.0000	0.0680
165	1840 Ka	0.6120	0.6120	0.0460	0.5660
166	1840 Kha	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
167	1841	0.3370	0.3370	0.0096	0.3274
168	1842	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
169	1843	0.7880	0.7880	0.0000	0.7880
170	1844	0.1080	0.1080	0.0390	0.0690
171	1845	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
172	1846	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
173	1847 / 1	0.0830	0.2850	0.0187	0.2663
174	1847 / 2	0.0630	”	”	”
175	1847 / 3	0.0380	”	”	”
176	1847 / 4	0.0380	”	”	”
177	1847 / 5	0.0000	”	”	”
178	1847 / 6	0.0630	”	”	”
179	1848	0.3290	0.3290	0.0280	0.3010
180	1849	0.2150	0.2150	0.0000	0.2150
181	1850	0.0340	0.0340	0.0000	0.0340
182	1851 / 1	0.0000	0.6260	0.0025	0.6235
183	1851 / 2	0.3950	”	”	”
184	1851 / 3	0.0550	”	”	”
185	1851 / 4	0.0630	”	”	”
186	1851 / 5	0.1130	”	”	”
187	1852	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
188	1853 Ka	0.0830	0.0830	0.0000	0.0830
189	1853 Kha	0.2910	0.2910	0.0000	0.2910
190	1854	0.1630	0.1630	0.0000	0.1630
191	1855	1.6070	1.6070	0.0000	1.6070
192	1856	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
193	1857	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
194	1858	0.0700	0.0700	0.0000	0.0700
195	1859 Ka	0.2020	0.2020	0.0000	0.2020
196	1859 Kha	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
197	1859 Ga	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village Teonga					
198	1859 Gha	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
199	1860	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
200	1861	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
201	1862	0.1590	0.1590	0.0000	0.1590
202	1863	1.0240	1.0240	0.4534	0.5706
203	1864	0.0740	0.0740	0.0000	0.0740
204	1865	0.0810	0.0810	0.0000	0.0810
205	1866	0.1080	0.1080	0.0000	0.1080
206	1867	1.0670	1.0670	0.0000	1.0670
207	1868 / 1	0.2100	0.2100	0.0000	0.2100
208	1868 / 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
209	1868 / 3	0.2560	0.2560	0.0000	0.2560
210	1868 / 4	1.6500	1.6500	0.0000	1.6500
211	1868 / 5	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
212	1868 / 6	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
213	1869	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
214	1870	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
215	1871	0.3880	0.3880	0.0000	0.3880
216	1872	0.3760	0.3760	0.0000	0.3760
217	1873	0.0610	0.0610	0.0000	0.0610
218	1874	1.0330	1.0330	0.0000	1.0330
219	1875 / 1	0.1680	0.1680	0.1680	0.0000
220	1875 / 2	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
221	1876	0.5720	0.5720	0.0000	0.5720
222	1877	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
223	1878	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
224	1879	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
225	1880	0.2160	0.2160	0.0000	0.2160
226	1881	0.1310	0.1310	0.0000	0.1310
227	1882	0.4190	0.4190	0.0000	0.4190
228	1883	0.9600	0.9600	0.0000	0.9600
229	1884	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
230	1885	0.4130	0.4130	0.0000	0.4130
231	1886	0.5090	0.5090	0.0000	0.5090
232	1887	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
233	1888 / 1	0.4490	0.4490	0.0000	0.4490
234	1888 / 2	0.2200	0.2200	0.0000	0.2200
235	1888 / 3	0.2300	0.2300	0.0000	0.2300
236	1889 Ka	0.1900	0.1900	0.0000	0.1900
237	1889 Kha	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
238	1890	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
239	1891	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
240	1892	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
241	1893	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
242	1894	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
243	1895	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
244	1896	0.3460	0.3460	0.0000	0.3460
245	1897	0.8360	0.8360	0.0000	0.8360
246	1898	0.5760	0.5760	0.0000	0.5760
247	1899	0.1790	0.1790	0.0000	0.1790
248	1900	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
249	1901	0.1000	0.1000	0.0000	0.1000
250	1902	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460
251	1903	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
252	1904	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
253	1905	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
254	1906	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
255	1907	0.1060	0.1060	0.0000	0.1060
256	1908	0.1060	0.1060	0.0000	0.1060
257	1909	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460
258	1910	0.1580	0.1580	0.0000	0.1580
259	1911	0.6560	0.6560	0.0000	0.6560
260	1912	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
261	1913	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
262	1914	0.4950	0.4950	0.0000	0.4950
263	1915	0.3700	0.3700	0.0000	0.3700
264	1916	0.1880	0.1880	0.0000	0.1880
265	1917	0.1570	0.1570	0.0000	0.1570
266	1918	0.2400	0.2400	0.0000	0.2400
267	1919	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
268	1920	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
269	1921	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
270	1922	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
271	1923	0.1980	0.1980	0.0000	0.1980
272	1924	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
273	1925	0.1790	0.1790	0.0000	0.1790
274	1926	0.5050	0.5050	0.0000	0.5050
275	1927	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
276	1928	0.2570	0.2570	0.0000	0.2570
277	1929	0.1280	0.1280	0.0000	0.1280
278	1930	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
279	1931	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
280	1932	0.1470	0.1470	0.0000	0.1470
281	1933	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Teonga					
282	1934	0.1600	0.1600	0.0000	0.1600
283	1935	0.1470	0.1470	0.0000	0.1470
284	1936	0.0270	0.0270	0.0000	0.0270
285	1705 / 1947	0.0510	0.0000	0.0000	0.0000
286	1915 / 1972	0.0470	0.0470	0.0000	0.0470
287	1715 / 1956	0.0370	0.0370	0.0000	0.0370
288	1715 / 1971	0.0500	0.0500	0.0190	0.0310
289	1715 / 1970	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
290	1867 / 1973	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
291	1882 / 1961	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
292	1710 / 1952	0.0630	0.0630	0.0091	0.0539
293	1918 / 1962	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
294	1656 / 1953	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000
295	1880 / 1955	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
296	1815 / 1958	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
297	1754 / 1938	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
TOTAL-A		59.3880	59.3193	6.7866	52.5327
Village-Badanpur					
298	504	0.0900	0.0900	0.0220	0.0680
299	504 / 1	0.0900	0.0900	0.0260	0.0640
300	505	0.1450	0.1450	0.0431	0.1019
301	506	0.0580	0.0580	0.0270	0.0310
302	507	0.1210	0.1210	0.0220	0.0990
303	507 / 1	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
304	508	0.1580	0.1580	0.1580	0.0000
305	509	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
306	510	0.1520	0.1520	0.1520	0.0000
307	511	0.3670	0.3670	0.1973	0.1697
308	512 Ka	0.4300	0.4300	0.4300	0.0000
309	512 Kha	0.0890	„	„	„
310	512 Ga	0.1520	0.5560	0.5560	0.0000
311	512 Gha	0.3150	„	„	„
312	513	0.0440	0.0440	0.0148	0.0292
313	513 / 1	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
314	514	0.0170	0.0170	0.0000	0.0170
315	515	0.1350	0.1350	0.0000	0.1350
316	515 / 1	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
317	516	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
318	516 / 1	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
319	517	0.1640	0.1640	0.0250	0.1390
320	518	0.1190	0.1190	0.0000	0.1190
321	519	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
322	520	0.1480	0.1480	0.0000	0.1480

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Badanpur					
323	521	0.1040	0.1040	0.0000	0.1040
324	522	0.0590	0.0590	0.0000	0.0590
325	522 / 1	0.6650	0.6650	0.0000	0.6650
326	523	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
327	523 / 1	0.3300	0.3300	0.0000	0.3300
328	524	0.0340	0.0340	0.0000	0.0340
329	525	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
330	525 / 1	0.8000	0.8000	0.0000	0.8000
331	526	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
332	526 / 1	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
333	527	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
334	527 / 1	0.3060	0.3060	0.0000	0.3060
335	528	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
336	528 / 1	0.1780	0.1780	0.0000	0.1780
337	529	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
338	530	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
339	531	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
340	532	0.0680	0.0680	0.0000	0.0680
341	533	0.0800	0.0800	0.0000	0.0800
342	533 / 1	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
343	534	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
344	534 / 1	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
345	535	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
346	535 / 1	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
347	536 Ka	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
348	536 Kha	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
349	537	0.1680	0.1680	0.0000	0.1680
350	538	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
351	538 / 1	0.3180	0.3180	0.0000	0.3180
352	539	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
353	539 / 1	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
354	540	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
355	540 / 1	0.3130	0.3130	0.0000	0.3130
356	541	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010
357	541 / 1	0.0880	0.0880	0.0000	0.0880
358	542	0.2140	0.2140	0.0000	0.2140
359	543	0.0830	0.0830	0.0000	0.0830
360	544	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
361	545	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
362	545 / 1	0.3930	0.3930	0.0000	0.3930
363	546	0.0020	0.0020	0.0000	0.0020
364	546 / 1	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
365	547	0.1720	0.1720	0.0000	0.1720

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Badanpur					
366	548	0.7840	0.7840	0.0000	0.7840
367	549	0.2260	0.2260	0.0000	0.2260
368	550	0.1130	0.1130	0.0000	0.1130
369	551	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
370	552	0.1460	0.1460	0.0000	0.1460
371	553	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000
372	554	0.0950	0.0950	0.0473	0.0477
373	554 / 1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
374	554 / 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
375	555	0.0270	0.0270	0.0000	0.0270
376	557	0.0570	0.0570	0.0570	0.0000
377	558	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
378	559	0.1760	0.1760	0.0200	0.1560
379	560	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
380	561	0.3810	0.3810	0.0405	0.3405
381	562	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
382	563	0.1110	0.1110	0.1110	0.0000
383	563 / 1	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
384	564	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
385	565	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
386	565 / 1	0.0970	0.0970	0.0970	0.0000
387	565 / 2	0.0970	0.0970	0.0970	0.0000
388	566	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
389	567	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
390	568 Ka	0.0320	0.0320	0.0320	0.0000
391	568 Kha	0.0360	0.0360	0.0180	0.0180
392	569	0.0410	0.0410	0.0155	0.0255
393	570	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
394	571	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
395	572	0.0380	0.0380	0.0130	0.0250
396	573	0.0480	0.0480	0.0480	0.0000
397	574	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000
398	575	0.3330	0.3330	0.0940	0.2390
399	576	0.3110	0.3110	0.0000	0.3110
400	577	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
401	577 / 1	0.5990	0.5990	0.0730	0.5260
402	578	0.0210	0.0210	0.0000	0.0210
403	579	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
404	580	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
405	580 / 1	0.2000	0.2000	0.0000	0.2000
406	581	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
407	582	0.1980	0.1980	0.0000	0.1980
408	583	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Badanpur					
409	584	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
410	585	0.1910	0.1910	0.0503	0.1407
411	586	0.1260	0.1260	0.0160	0.1100
412	587	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
413	588	0.0210	0.0210	0.0000	0.0210
414	588 / 1	0.8610	0.8610	0.0285	0.8325
415	589	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
416	590	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
417	593	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
418	593 / 1	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
419	594	0.0780	0.0780	0.0000	0.0780
420	595	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
421	596	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
422	596 / 1	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
423	597	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
424	598	0.4790	0.4790	0.0000	0.4790
425	599	0.0240	0.0240	0.0000	0.0240
426	599 / 1	0.2110	0.2110	0.0000	0.2110
427	600	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
428	601	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
429	601 / 1	0.2090	0.2090	0.0000	0.2090
430	602	0.0020	0.0020	0.0000	0.0020
431	602 / 1	0.3020	0.3020	0.0000	0.3020
432	603	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
433	604	0.3070	0.3070	0.0000	0.3070
434	605	0.0090	0.0090	0.0000	0.0090
435	605 / 1	0.4120	0.4120	0.0000	0.4120
436	606	0.1910	0.1910	0.0000	0.1910
437	607	0.1190	0.1190	0.0000	0.1190
438	608	0.2850	0.2850	0.0000	0.2850
439	609	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
440	609 / 1	1.0680	1.0680	0.0000	1.0680
441	610	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
442	611	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
443	612 Ka	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
444	612 Kha	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
445	613	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
446	614	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
447	615	0.0880	0.0880	0.0000	0.0880
448	616	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
449	616 / 1	0.2320	0.2320	0.0000	0.2320
450	617	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
451	618	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village-Badanpur					
452	618 / 1	0.2400	0.2400	0.0000	0.2400
453	619	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
454	620	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
455	620 / 1	0.1390	0.1390	0.0000	0.1390
456	621	0.1650	0.1650	0.0000	0.1650
457	622 Ka	0.5050	0.5050	0.0000	0.5050
458	622 Kha	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
459	623	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
460	624	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
461	625	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
462	625 / 1	0.5860	0.5860	0.0000	0.5860
463	626	0.8800	0.8800	0.0000	0.8800
464	627	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
465	628	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
466	628 / 1	0.4760	0.4760	0.0000	0.4760
467	662	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
468	522 / 806	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
469	575 / 805	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
470	575 / 804	0.0107	0.0107	0.0000	0.0107
471	626 / 796	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
472	522 / 797	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
TOTAL- B		23.7997	23.7997	2.7103	21.0894
Village- Bhupiyamau					
473	1	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
474	2 Ka	0.1880	0.1880	0.0000	0.1880
475	2 Kha	0.0710	0.0710	0.0055	0.0655
476	3	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
477	4 Ka	0.1090	0.1090	0.1090	0.0000
478	4 Kha	0.0930	0.0930	0.0930	0.0000
479	5	0.2530	0.2530	0.0080	0.2450
480	6	0.3540	0.3540	0.0658	0.2882
481	7	0.2910	0.2910	0.0362	0.2548
482	8 Ka	0.1260	0.1260	0.0029	0.1231
483	8 Kha	0.1260	0.1260	0.0060	0.1200
484	8 Ga	0.1270	0.1270	0.0105	0.1165
485	8 Gha	0.1270	0.1270	0.0000	0.1270
486	9	1.5980	1.5980	0.0000	1.5980
487	10 Ka	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
488	10 Kha	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
489	11	0.3200	0.3200	0.0000	0.3200
490	12	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
491	13	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
492	14	0.1140	0.1140	0.0000	0.1140
493	15	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
494	16	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
495	17 Ka	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
496	17 Kha	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
497	18	0.1010	0.1010	0.0242	0.0768
498	19 Ka	0.1970	0.1970	0.0000	0.1970
499	19 Kha	0.1000	0.1000	0.0000	0.1000
500	20 Ka	0.1850	0.2280	0.1220	0.1060
501	20 Kha	0.0430	„	„	„
502	21	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
503	22	0.1750	0.1750	0.0000	0.1750
504	23	0.0630	0.0630	0.0126	0.0504
505	24	0.0630	0.0630	0.0593	0.0037
506	25	1.0910	1.0910	0.0085	1.0825
507	26	0.5150	0.5150	0.0000	0.5150
508	27	0.5360	0.5360	0.0000	0.5360
509	28	1.3200	1.3200	0.1300	1.1900
510	29	0.1860	0.1860	0.0000	0.1860
511	30	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
512	31	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
513	32	0.2590	0.2590	0.0000	0.2590
514	33	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
515	34	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
516	35	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140
517	36	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
518	37	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
519	38	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460
520	39	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
521	39 / 1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
522	40	0.6620	0.6620	0.0190	0.6430
523	41	0.6380	0.6380	0.0000	0.6380
524	42	0.1800	0.1800	0.0000	0.1800
525	43	0.2380	0.2380	0.0979	0.1401
526	44	0.3330	0.3330	0.0000	0.3330
527	45	0.0680	0.0680	0.0000	0.0680
528	46	0.1020	0.1020	0.0000	0.1020
529	47	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010
530	48	0.1220	0.1220	0.0000	0.1220
531	49	0.1240	0.1240	0.0000	0.1240
532	50	0.2940	0.2940	0.0000	0.2940
533	51	0.2570	0.2570	0.0000	0.2570

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
534	52	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
535	53	0.3150	0.3150	0.0000	0.3150
536	54	0.1100	0.1100	0.0000	0.1100
537	55	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
538	56	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
539	57	1.1070	1.1070	0.0000	1.1070
540	58	1.4430	1.4430	0.0000	1.4430
541	59	0.2670	0.2670	0.0000	0.2670
542	60	0.8690	0.8690	0.0000	0.8690
543	61	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
544	62	0.8200	0.8200	0.0000	0.8200
545	63	0.1410	0.1410	0.0000	0.1410
546	64	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
547	65	0.0930	0.0930	0.0000	0.0930
548	66	0.2460	0.2460	0.0000	0.2460
549	67	0.1880	0.1880	0.0000	0.1880
550	68	0.5830	0.5830	0.0000	0.5830
551	69	0.8950	0.8950	0.0000	0.8950
552	70	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
553	71	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
554	72	0.0770	0.0770	0.0000	0.0770
555	73	0.0960	0.0960	0.0000	0.0960
556	74	2.2020	2.2020	0.0000	2.2020
557	75	0.6050	0.6050	0.0000	0.6050
558	76	0.1750	0.1750	0.0000	0.1750
559	77	0.1550	0.1550	0.0000	0.1550
560	78	0.1390	0.1390	0.0000	0.1390
561	79	0.1650	0.1650	0.0000	0.1650
562	80	0.5610	0.5610	0.0000	0.5610
563	81	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
564	82	0.2230	0.2230	0.0000	0.2230
565	83	0.2400	0.2400	0.0000	0.2400
566	84	0.2550	0.2550	0.0000	0.2550
567	87	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
568	88	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
569	89	0.0800	0.0800	0.0000	0.0800
570	90	0.1870	0.1870	0.0000	0.1870
571	91	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
572	92	0.0900	0.0900	0.0000	0.0900
573	93	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
574	94	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
575	95	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
576	96	0.0570	0.0570	0.0060	0.0510

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
577	97	0.0810	0.0810	0.0000	0.0810
578	98 Ka	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
579	98 Kha	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
580	99	0.9250	0.9250	0.0000	0.9250
581	100 Ka	0.0470	0.0470	0.0369	0.0101
582	100 Kha	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
583	100 Ga	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
584	100 Gha	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
585	101	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
586	102	0.3140	0.3140	0.0000	0.3140
587	103	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
588	104	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
589	105	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
590	106	0.2610	0.2610	0.0000	0.2610
591	107	0.1270	0.1270	0.0000	0.1270
592	108	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
593	109	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
594	110	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
595	111	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
596	112	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
597	113	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
598	114	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
599	115	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
600	116	0.3220	0.3220	0.0000	0.3220
601	117	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500
602	118	0.1250	0.1250	0.0440	0.0810
603	119	0.0860	0.0860	0.0170	0.0690
604	120	0.0790	0.0790	0.0300	0.0490
605	121	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
606	122 Ka	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
607	122 Kha	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
608	123	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
609	124	0.2390	0.2390	0.0000	0.2390
610	125	0.0880	0.0880	0.0000	0.0880
611	126	0.0790	0.0790	0.0000	0.0790
612	127	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
613	128	0.1470	0.1470	0.0533	0.0937
614	129	0.1420	0.1420	0.0000	0.1420
615	130	0.1270	0.1270	0.0000	0.1270
616	131	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
617	132	0.6750	0.6750	0.0000	0.6750
618	133	0.3020	0.3020	0.0000	0.3020

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
619	134	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
620	135	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
621	136	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
622	141	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
623	142 Ka	0.0570	0.0570	0.0000	0.0570
624	142 Kha	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
625	143	0.0410	0.0410	0.0268	0.0142
626	146 Ka	0.0460	0.0000	0.0000	0.0000
627	146 Kha	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000
628	147 Ka	0.0570	1.3980	0.0221	1.3759
629	147 Kha	0.1620	„	„	„
630	147 Ga	0.6100	„	„	„
631	147 Gha	0.5690	„	„	„
632	148	0.3060	0.3060	0.0000	0.3060
633	149	0.5920	0.5920	0.0000	0.5920
634	150	0.6950	0.6950	0.0000	0.6950
635	158	0.0470	0.0235	0.0000	0.0235
636	244	0.2610	0.2610	0.0000	0.2610
637	245	0.2880	0.2880	0.0000	0.2880
638	246	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
639	247	0.1810	0.1810	0.0000	0.1810
640	248	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
641	258	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
642	472	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
643	473	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
644	474	0.4640	0.4640	0.0000	0.4640
645	475	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
646	476	0.0290	0.0290	0.0000	0.0290
647	477	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
648	478	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
649	479	0.0670	0.0670	0.0000	0.0670
650	487	0.0260	0.0260	0.0000	0.0260
651	488	0.3440	0.3440	0.0000	0.3440
652	489	0.1330	0.1330	0.0000	0.1330
653	490 Ka	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
654	490 Kha	0.6420	0.6420	0.1373	0.5047
655	491	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
656	492	0.0870	0.0870	0.0000	0.0870
657	493	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
658	494	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
659	495	0.5730	0.5730	0.0000	0.5730
660	496	0.6550	0.6550	0.0000	0.6550
661	497	0.2900	0.2900	0.0000	0.2900

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
662	498	0.0660	0.0660	0.0000	0.0660
663	499	0.0720	0.0720	0.0000	0.0720
664	500	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
665	501	0.0340	0.0340	0.0000	0.0340
666	502	0.1270	0.1270	0.0626	0.0644
667	503	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
668	504	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
669	505	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850
670	506	0.0440	0.0440	0.0310	0.0130
671	507	0.2500	0.2500	0.0482	0.2018
672	508	0.1500	0.1500	0.0029	0.1471
673	509	0.1400	0.1400	0.0000	0.1400
674	510	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
675	511	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
676	512	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
677	513	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
678	514	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
679	515	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
680	516	0.0290	0.0290	0.0221	0.0069
681	519	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
682	520	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
683	534	1.6860	1.6860	0.3744	1.3116
684	538	0.2710	0.2710	0.0334	0.2376
685	539	0.2400	0.2400	0.0431	0.1969
686	540	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
687	541 Ka	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
688	541 Kha	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
689	541 Ga	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
690	542	0.0660	0.0660	0.0660	0.0000
691	543	0.0370	0.0370	0.0000	0.0370
692	544	0.4800	0.4800	0.0000	0.4800
693	545	0.2480	0.2480	0.0000	0.2480
694	546	0.2970	0.2970	0.0000	0.2970
695	547	0.4380	0.4380	0.0000	0.4380
696	548	0.3080	0.3080	0.0000	0.3080
697	549	0.1180	0.1180	0.0000	0.1180
698	550	0.6950	0.6950	0.0000	0.6950
699	551	0.2950	0.2950	0.0000	0.2950
700	552	0.2390	0.2390	0.0000	0.2390
701	553	0.0840	0.0840	0.0000	0.0840
702	554	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
703	554 / 1	0.2600	0.2600	0.0000	0.2600
704	555	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
705	556	0.2920	0.2920	0.0000	0.2920
706	557	0.1980	0.1980	0.0000	0.1980
707	558	0.3370	0.3370	0.0000	0.3370
708	559	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
709	560	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
710	561	0.1630	0.1630	0.0000	0.1630
711	562	0.7720	0.7720	0.0000	0.7720
712	563	0.2010	0.2010	0.0000	0.2010
713	564	0.1870	0.1870	0.0000	0.1870
714	565	0.1000	0.1000	0.0000	0.1000
715	566	0.3810	0.3810	0.0000	0.3810
716	569	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
717	570	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
718	572	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
719	597	0.1490	0.0894	0.0000	0.0894
720	598	0.3510	0.3510	0.0000	0.3510
721	599	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
722	600	0.4230	0.4230	0.0000	0.4230
723	601 Ka	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
724	601 Kha	0.1830	0.1830	0.0000	0.1830
725	601 Ga	0.3670	0.3670	0.0000	0.3670
726	602	0.2250	0.2250	0.0000	0.2250
727	603	0.3910	0.3910	0.0000	0.3910
728	604	0.0900	0.0900	0.0000	0.0900
729	605	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
730	606	0.3740	0.3740	0.0000	0.3740
731	607	0.1230	0.1230	0.0000	0.1230
732	608	0.4120	0.4120	0.0000	0.4120
733	609	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
734	610	0.5550	0.5550	0.0000	0.5550
735	611	0.1440	0.1440	0.0000	0.1440
736	612 Ka	0.0180	0.0180	0.0000	0.0180
737	612 Kha	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
738	612 Ga	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
739	613 Ka	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
740	613 Kha	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
741	613 Ga	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
742	614	0.0420	0.0420	0.0000	0.0420
743	615	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
744	616	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
745	617	0.1950	0.1950	0.0000	0.1950
746	619	0.0460	0.0460	0.0000	0.0460

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
747	622	0.1660	0.1660	0.0000	0.1660
748	623	0.2160	0.2160	0.0122	0.2038
749	624	0.0110	0.0110	0.0000	0.0110
750	625	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
751	626	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
752	626 / 1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
753	627	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
754	628	0.2630	0.2630	0.0000	0.2630
755	629	1.1460	1.1460	0.0000	1.1460
756	630	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
757	631	3.1470	3.1470	0.2448	2.9022
758	632	0.1610	0.1610	0.0000	0.1610
759	633	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
760	634	0.1250	0.1250	0.0207	0.1043
761	635	0.3990	0.3990	0.0000	0.3990
762	636	0.0530	0.0530	0.0000	0.0530
763	637	0.4720	0.4720	0.0000	0.4720
764	638	0.3770	0.3770	0.0000	0.3770
765	639	0.5520	0.5520	0.0000	0.5520
766	640	0.2120	0.2120	0.0000	0.2120
767	641	0.0660	0.0660	0.0000	0.0660
768	663	0.1680	0.1126	0.0000	0.1126
769	664	0.2430	0.2430	0.0000	0.2430
770	665	0.2910	0.2910	0.0000	0.2910
771	666	0.3890	0.3890	0.0000	0.3890
772	128 / 1010	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
773	496 / 1001	0.0460	0.0000	0.0000	0.0000
774	496 / 1007	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
775	502 / 1020	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
776	496 / 1021	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
777	507 / 1019	0.0450	0.0450	0.0000	0.0450
778	567 / 1018	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
779	598 / 1052	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
780	631 / 1031	0.0980	0.0980	0.0000	0.0980
781	631 / 1032	0.0490	0.0490	0.0000	0.0490
782	631 / 1033	0.0040	0.0040	0.0000	0.0040
783	258 / 1008	0.5450	0.5450	0.0000	0.5450
784	258 / 1009	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
785	65 / 1050	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
786	603 / 1038	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010
787	24 / 1053	0.2839	0.2839	0.1140	0.1699
788	502 / 1047	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150

1	2	3	4	5	6
		<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>
Village- Bhupiyamau					
789	502 / 1048	0.0120	0.0120	0.0000	0.0120
790	611 / 1022	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380
TOTAL-C		66.3169	65.9614	2.2592	63.7022
Village-Jahanaipur					
791	238	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
792	239	0.1230	0.1230	0.0000	0.1230
793	240 A	0.4360	0.4360	0.0000	0.4360
794	240 Ba	0.0370	0.0370	0.0000	0.0370
795	241	0.1180	0.1180	0.0000	0.1180
796	242	0.0220	0.0220	0.0000	0.0220
797	260	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
798	261	0.2770	0.2770	0.0000	0.2770
799	262	0.2640	0.2640	0.0000	0.2640
800	263	0.1440	0.1440	0.0000	0.1440
801	264	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
802	265	0.5640	0.5640	0.0000	0.5640
803	266	0.0660	0.0660	0.0050	0.0610
804	274	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
805	275	0.0080	0.0080	0.0000	0.0080
806	276	0.5560	0.5560	0.0000	0.5560
807	277 A	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
808	277 Ba	0.4580	0.4580	0.0000	0.4580
809	277 Sa	0.0060	0.0060	0.0000	0.0060
810	278	0.1450	0.1450	0.0000	0.1450
811	279	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
812	280	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
813	281 A	0.0350	0.0350	0.0000	0.0350
814	281 Ba	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
815	282 A	0.0390	0.0390	0.0000	0.0390
816	282 Ba	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
817	283 A	0.0980	0.0980	0.0000	0.0980
818	283 Ba	0.0840	0.0840	0.0000	0.0840
819	284 A	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250
820	284 Ba	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
821	285	0.0620	0.0620	0.0000	0.0620
TOTAL-D		4.0760	4.0760	0.0050	4.0710
G.Total (A+B+C+D)=		153.5806	153.1564	11.7611	141.3953

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

सूचना

न्यायालय श्रीमान इन्सोलवेंसी जज/सिविल जज (सी० डि०) सहारनपुर।

मूल वाद संख्या 01 सन 2024

उमर हेन्डीक्राफ्ट पता-कार्यस्थल विकास कालोनी, गली नं० 40, जैन कालोनी, खाताखेडी, सहारनपुर 247001 द्वारा प्रोपराईटर फिरोज अहमद पुत्र याकूब अहमद निवासी 3/1820, जनक नगर, सहारनपुर। वादी

बनाम

1- S.M.F.G इण्डिया क्रेडिट कं० लि० (Formerly फुलरटन इण्डिया क्रेडिट कं० लि०) रजि० पता मेघ टॉवर तृतीय फ्लोर, Old NO. 307, New No. 165 पूनामल्लई हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई (तमिलनाडू), 600095

सेन्टर बिल्डिंग पता- नम्बर 101, 102 और 103, 10 फ्लोर नार्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बान्द्रा गुरला काम्पलैक्स, बान्द्रा (E) मुम्बई-400051 महाराष्ट्र।

2- नावी फीनसर्व लि० (i) पता- 2nd फ्लोर वैष्णवी टेक स्कावर, गांव इबालुर, तालुक, बागालुर, बेगरू, बेंगलुरु, कर्नाटका-560102 E-mail-grievance.ntl@navi.com (ii) 9th फ्लोर वैष्णवी, टेक स्कावर, गांव इबालुर, तालुक, बागालुर, बेगरू, बेंगलुरु, कर्नाटका-560102 E-mail-grievance.ntl@navi.com

3- मैसर्स लैन्डिंग कार्ट फाईनेन्स लि० (NBFC) पता कोर्पोरेट ऑफिस 401, 4th फ्लोर आइकोनिक श्यामल, निकट श्याम क्रास रोड, अहमदाबाद 380015

4- बजाज फाईनेन्स कोर्पोरेट ऑफिस पता- 4th फ्लोर, बजाज फिनसर्व कार्पोरेट ऑफिस, ऑफ पूना-अहमदनगर रोड, विमान नगर पूना 411014 मोबाइल नं० 8698010101 Email-investor.service@bajajfinserv.in

5- हीरो फीनकोर्प लि० पता-रजि० ऑफिस 34, कम्युनिटी सेन्टर बसंत लोक, वंसत विहार, नई दिल्ली 110057 Email.customer.care@herofincorp.com

6- EPI MONEY प्रा०लि० (i) रजि० ऑफिस नं० 119, 2nd फ्लोर ग्रीनवेस टावर, सेन्ट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई 600018 (ii) कम्युनिकेशन पता-7 फ्लोर साउथ, एनेक्स टावर-2, वन वर्ल्ड सेन्टर, 841 सेनापति बापत मार्ग, साईधाम नगर, लावर पारेल, मुम्बई 400013 मो०नं० 022-6260 3800

7- इन्फो क्रेडिट सर्विस प्रा०लि० (क्रेडिट विद्या) पता रजि० ऑफिस कार्नीवल हाऊस निकट डिनडोशी फायर स्टेशन ऑफ जनरल ए०के० विद्या मार्ग, मलद (ईस्ट), मुम्बई महाराष्ट्र - 400097 (ii) Principal Place of Business- My Home Hub ब्लॉक- II 2nd फ्लोर हाईटेक सिटी माधापुर, हैदराबाद -500081

8- एच.डी.एफ.सी. बैंक पता- क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होटल सूर्यलोक, घंटाघर रेलवे रोड, सहारनपुर- 247001

9- एस०बी०आई० क्रेडिट कार्ड पता-एस.बी.आई. कार्ड एण्ड पेमेन्ट सर्विस लि० डी.एल.एफ. इनफिनिटी टावर्स, टावर-सी, 12 फ्लोर ब्लॉक-2. बिल्डिंग 3. डी.एल.एफ. साईबर सिटी. गुरुग्राम 122002 (हरियाणा)।

10- आर०बी०एल० बैंक क्रेडिट कार्ड पता हैड क्वार्टर हैड, कार्ड सर्विस, आर०बी०एल० बैंक लि० कार्ड ऑपरेटिंग सेन्टर सी०ओ०सी० जे०एम०डी०, मेगापॉलिस, युनिट नं० 306-311-3 फ्लोर सोहनारोड, सेक्टर 48, गुरुग्राम (हरियाणा)। 122018

..... विपक्षीगण

चूंकि उपरिनामांकित प्रार्थना पत्र/आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतएव आपको एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के खिलाफ हेतू संदर्शित करने के लिए 2026 के 02 के 10 दिवस को 10 बजे पूर्वाह्न में स्वयं या सम्यकरूपेण अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसजाता हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन पत्र एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा।

बब्जत मेरे दस्तख्त और मुहर अदालत में आज वतारीख 05-01-26 को जारी किया गया।

प्रबन्धक,
सिविल जज सीनियर डिविजन,
सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि सिंह (SHRISTI SINGH) पुत्री स्व० अंशिक सिंह (ANSHIK SINGH) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या सं० 2732 2606 4689 में उसका नाम सहस्तत्रा सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि सिंह (SHRISTI SINGH) पुत्री स्व० अंशिक सिंह (ANSHIK SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा की गई हैं।

अमृता सिंह पत्नी स्व० अंशिक सिंह,
ग्राम-मेजा खास पो०-मेजा,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम साजन पाण्डेय पुत्र सुनील पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8573 2578 6908 में मेरा नाम साजन कुमार अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम साजन पाण्डेय पुत्र सुनील पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

साजन पाण्डेय पुत्र सुनील पाण्डेय,
ग्राम-महरौडा पोस्ट बिरोही विजयपुर,
तहसील सदर जनपद मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम बिदित सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-2206 2763 1290 में उसका नाम अभिनाश प्रताप सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम बिदित

सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार सिंह
पुत्र रवीन्द्र कुमार सिंह
पता-ग्राम-टिकरी, पोस्ट-टिकरी,
जनपद-फैजाबाद (अयोध्या), उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम् विश्वकर्मा पुत्र-रामबाबू विश्वकर्मा है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9345 1629 1090 में उसका नाम अनिकेत विश्वकर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम् विश्वकर्मा पुत्र रामबाबू विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रामबाबू विश्वकर्मा,
पुत्र लाल जी विश्वकर्मा,
निवासी- जी० टी० रोड बस स्टैण्ड गोपीगंज,
संत रविदास नगर, भदोही।

NOTICE

This is to inform the general public that my son's correct name is Rovit Yadav, son of Sarvesh Kumar, as mentioned in his educational records. My son's name has been mistakenly listed as Abhishek Yadav on his Aadhaar card number 3182 6525 3934, which is incorrect. In the future, my son should be known and recognized by his correct name, Rovit Yadav son of Sarvesh Kumar.

Sarvesh Kumar,
Son of late Betalal,
Resident of Pilkhar, Etawah, U.P.

NOTICE

This is to inform the Public that my son SIDDHARTH SINGH name on his Aadhaar card is incorrectly written as SIDDHARATH SINGH- His correct name is SIDDHARTH SINGH- In the future, my son should be known and written by this name.

Santosh Kumar Kushwaha
S/o Shri Basant Lal Kushwaha,
Resident of: Village and Post-Mungari,
Tehsil: Karchhana, Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हुमजा पुत्र जियाउल हसन है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-8988 9574 9375 में उसका नाम हुमजा नाम के स्थान पर विस्माउल हक अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हुमजा पुत्र जियाउल हसन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सहनाज बानो,
पत्नी स्व० जियाउल हसन,
पता- भवानीपुर चांदोपारा, फूलपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुमारी शिखा (Km. Shikha) पुत्री राकेश कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-8514 6933 1833 में मेरा नाम कुमारी गोल्डी अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुमारी शिखा पुत्री राकेश कुमार पत्नी चन्द्रमोहन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कुमारी शिखा पुत्री राकेश कुमार,
पत्नी चन्द्रमोहन यादव,
ग्राम पूर्वा गनेश पो० तिलकपुर,
फार्म बिधूना औरैया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आकर्ष यादव पुत्र भगवानदास यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार संख्या-4017 6446 9999 में उसका नाम अंशू यादव अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकर्ष यादव पुत्र भगवानदास यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

भगवान दास यादव,
पता- मातादीन का पूरा गद्दोपुर फाफामऊ,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम टीया यादव पुत्री सोनू यादव है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं० 8569 7517 6780 में उसका नाम रिया यादव अंकित हो गया है। जोकि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम टीया यादव पुत्री सोनू यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सोनू यादव,
निवासी - 536/40 कर्नलगंज,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सतीश चन्द्र (Satish Chandra) पुत्र बुल्लू राम है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-9233 4565 0392 में उसका नाम सतीशचंद (Satishchand) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सतीश चन्द्र (Satish Chandra) पुत्र बुल्लू राम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बुल्लू राम,
ग्राम व पोस्ट, रायपूर जनपद सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो० समद (MOHD SAMAD) पुत्र ताहिर शफीक (TAHIR SHAFIQUE) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-5502 2418 6556 में मेरा नाम अली समद (ALI SAMAD) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो० समद (MOHD SAMAD) पुत्र ताहिर शफीक के नाम से जाना व पहचान जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो० समद,
पता- 49/25, गूलर नाका बादाँ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वर्चस्व पुत्र विजय यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-3371 2398 9311 में उसका नाम उज्जवल यादव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वर्चस्व पुत्र विजय यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विजय कुमार यादव
पुत्र स्व० केदार सिंह यादव,
वरईपुर, सारनाथ, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अरफा जहीर (ARFA ZAHEER)

पुत्री मिर्जा मोहम्मद जहीर (MIRZA MOHAMMAD ZAHEER) है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-6464 9428 6073 में उसका नाम सानिया फातिमा मिर्जा (SANIYAH FATIMA MIRZA) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अरफा जहीर (ARFA ZAHEER) पुत्री मिर्जा मोहम्मद जहीर (MIRZA MOHAMMAD ZAHEER) से ही जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मिर्जा मोहम्मद जहीर
पुत्र स्व० मिर्जा अली जहीर,
निवासी- ग्राम व पोस्ट-बी-101, रॉयल स्टेट,
7-लाप्लास कॉलोनी, थाना-हजरतगंज,
जिला लखनऊ, लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शैलेन्द्र कुमार (Shailendra Kumar) पुत्र इन्दर है जो कि मेरे बैंक बासबुक, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5019 6189 3040 में मेरा नाम भुल्लन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र इन्दर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शैलेन्द्र कुमार पुत्र इन्दर,
ग्राम व पोस्ट कसेन्दा, थाना-पिपरी,
तहसील-चायल, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रमेश कुमार प्रजापति RAMESH KUMAR PRAJAPTI पुत्र राज कुमार प्रजापति है। जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5080 2006 7890 में मेरा नाम लवकुश कुमार

प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रमेश कुमार प्रजापति पुत्र राज कुमार प्रजापति से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रमेश कुमार प्रजापति
पुत्र राज कुमार प्रजापति,
निवासी—ग्राम व पोस्ट—साजी, तहसील—कोरांव,
जिला—प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Srivastava) पुत्र हिमांशु श्रीवास्तव है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—6980 2110 0735 में मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Shrivastava) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Srivastava) पुत्र हिमांशु श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Shrivastava),
पुत्र हिमांशु श्रीवास्तव,
निवासी— 5/9, मालवीय रोड, जार्जटाउन,
पोस्ट कचेहरी, तहसील—सदर,
इलाहाबाद/प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह (Shivendra Pratap Singh) पुत्र वेद प्रकाश सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—5136 8549 8269 में उसका नाम शिवाय सिंह (Shivay Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह (Shivendra Pratap Singh) पुत्र वेद प्रकाश सिंह से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

वेद प्रकाश सिंह,
पता— 53ए/34, तिलक नगर, अल्लापुर,
प्रयागराज।

सूचना

मैं संजय कुमार गोंड पुत्र श्री भगवान प्रसाद सा०—सिधारी, पो०—सिधारी, पल्हनी, जिला—आजमगढ़ उ०प्र० का निवासी हूँ। मेरे पुत्र का सही नाम अभिनन्दन गोंड पुत्र संजय कुमार गोंड है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—3988 1569 8040 में पुत्र का नाम सार्थक गोंड अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम अभिनन्दन गोंड पुत्र संजय कुमार गोंड के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

संजय कुमार गोंड,
सा०—सिधारी, पो०—सिधारी,
पल्हनी, जिला—आजमगढ़ उ०प्र०

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन (ARYAN) पुत्र उमाशंकर है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—3452 0953 4738 में उसका नाम साहिल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन पुत्र उमाशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

उमां शंकर,
525ए/1 राजापुर ऊँचवागढ़ी, दहियावन,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम AWADH NARAYAN SINGH (अवध नारायण सिंह) पुत्र रघुनाथ सिंह है, जो मेरे PPO, राशन कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक व कक्षा आठ पास की T.C. में तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं. 2840 4236 9782 में मेरा नाम AVADH NARAYAN SINGH अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम AWADH NARAYAN SINGH पुत्र रघुनाथ सिंह नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

AWADH NARAYAN SINGH,
(अवध नारायण सिंह) पुत्र रघुनाथ सिंह,
निवासी— ग्राम काजीपुर बेलहा, पोस्ट—हण्डिया,
जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम RIDDHIMA YADAV पुत्री ANIL YADAV है जो कि शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 3543 4269 0462 में मेरा नाम RUDRISHA YADAV अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम RIDDHIMA YADAV पुत्री ANIL YADAV के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

RIDDHIMA YADAV,
634, Manas Enclave, Indiranagar,
Lucknow, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फखरुद्दीन पुत्र मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2760 3977 3503 में मेरा नाम "रजी" अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम

फखरुद्दीन पुत्र मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

फखरुद्दीन पुत्र मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी,
पता—ए 1042/7 करैली, नई पानी की टंकी,
जी०टी०बी० नगर इलाहाबाद, (प्रयागराज) उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अद्विका वर्मा पुत्री अमरनाथ सरोज है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०—3683 5151 1520 में उसका नाम आरुषि सरोज अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अद्विका वर्मा पुत्री अमरनाथ सरोज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमर नाथ सरोज,
ग्राम व पो०—भीरा, तहसील—मार्टिनगंज,
थाना—बरदह, जिला—आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मिवान श्रीवास्तव (MIVAAN SRIVASTAVA) पुत्र आलोक श्रीवास्तव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 4175 7994 5573 में मेरा नाम मानिक्य प्रकाश श्रीवास्तव (MAANIKYA PRAKASH SRIVASTAVA) अंकित है, जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मिवान श्रीवास्तव (MIVAAN SRIVASTAVA) पुत्र आलोक श्रीवास्तव के नाम से जाना और पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मिवान श्रीवास्तव,
पता—एम—73, संजय गाँधीपुरम फैजाबाद रोड,
लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरुल सिंह पुत्र सन्तोष कुमार सिंह है जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 4368 1901 9156 में नाम अभिनव सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरुल सिंह पुत्र सन्तोष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सन्तोष कुमार सिंह पुत्र स्व० कन्हैया सिंह,
ग्राम व पोस्ट—बरवारीपुर, तहसील—कादीपुर,
जनपद—सुल्तानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो० साहिल पुत्र जहीर अहमद है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार सं० 7869 0156 5859 में मेरा नाम मो० रईश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो० साहिल पुत्र जहीर अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो० साहिल
पुत्र जहीर अहमद
पता— एन—3/58, सरायसुरजन, बजरडीहा,
तहसील— सदरजिला— वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हेमन्त सिंह पुत्र श्री हरि नारायण सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—3595 9228 4849 में मेरा नाम कृष्ण तारकेश्वर चन्द्र राव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हेमन्त सिंह पुत्र श्री हरि नारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हेमन्त सिंह,
नि०-ग्राम मैधार पो०-कोडराजीत तह०-कुण्डा,
जनपद-प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—2532 3329 4829 में मेरा नाम शिवेन्द्र कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाना है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय
पुत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय,
पता—14/8, स्टेनली रोड, लोक सेवा आयोग,
सिविल लाइंस, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरोही तिवारी (Aarohi Tiwari) पुत्री आशीष तिवारी है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—9113 4068 0650 में उसका नाम अनवी तिवारी (Anvi Tiwari) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरोही तिवारी (Aarohi Tiwari) पुत्री आशीष तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आशीष तिवारी,
निवासी—127/628 एस ब्लॉक,
जूही विनोबा नगर, थाना जूही,
जिला कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूर्या यादव पुत्र रिकू है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—2313 5341 5828 में उसका नाम ओम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे

पुत्र को उसके सही नाम सूर्या यादव पुत्र रिकू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रिकू पुत्र राम सेवक,
निवासी ग्राम-पुरसेनी पोस्ट-मोहनलालगंज,
रानी खेड़ा, रायबरेली रोड, जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गौरव इंडस्ट्रीज, पता कारपेट सिटी डूडवा कुकरौठी संत रविदास नगर भदोही उ०प्र० जिसका रजिस्टर संख्या-00997/2022-2023 & पंजीकरण संख्या SRN/0012798 है।

उक्त फर्म में 01-श्री अनिल कुमार जैसवाल, 02-श्री संजय कुमार जैसवाल 03-श्री हर्ष जैसवाल, 04-श्री यश जैसवाल थे।

01- श्री संजय जैसवाल, 02- श्री हर्ष जैसवाल, 03- श्री यश जैसवाल दिनांक 31, जुलाई, 2024 से अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो गए हैं।

तथा नए पार्टनर दिनांक 01, अगस्त, 2024 से श्रीमती पूनम जैसवाल फर्म में सम्मिलित हुयी है। भविष्य में कुल दो पार्टनर 01- श्री अनिल कुमार जैसवाल तथा 02- श्रीमती पूनम जैसवाल फर्म को संचालित करेंगे।

श्री अनिल कुमार जैसवाल,
पार्टनर,
मेसर्स गौरव इंडस्ट्रीज,
पता कारपेट सिटी डूडवा कुकरौठी,
संत रविदास नगर भदोही उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ननका देवी पत्नी राम खेलावन है। जो मेरे निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर तथा उप जिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या 6507 4538 9803 में मेरा नाम नन्हका देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ननका देवी पत्नी राम खेलावन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ननका देवी पत्नी राम खेलावन,
नि०-नमक सराय पो०-पृथ्वीगंज,
तहसील-रानीगंज जनपद-प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कुंवर राजराणा पाण्डेय पुत्र संजीव कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-2924 1947 0820 में उसका नाम यसस्वी राणा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र उसके सही नाम कुंवर राजराणा पाण्डेय पुत्र संजीव कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजीव कुमार पाण्डेय,
523/जी वेस्ट जलालीपट्टी ककरमत्ता,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्यन शेखर पुत्र विनय प्रकाश है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-9381 8351 5218 में उसका नाम दीपांशु शेखर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को आर्यन शेखर पुत्र विनय प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विनय प्रकाश पुत्र मौजी लाल,
निवासी- महेशपुर झूसी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुभित दुबे (Subhit Dubey) पुत्र

आशीष कुमार दुबे है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3827 8343 5639 में उसका नाम सौमित दुबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुभित दुबे (Subhit Dubey) पुत्र आशीष कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीष कुमार दुबे पुत्र शिरोमणि लाल दुबे,
निवासी— ग्राम व पोस्ट—दुबावल,
थाना—सरायइनायत, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सान्या चौधरी (SANYA CHAUDHARI) पुत्री राजू चौधरी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 5557 0891 5272 में उसका नाम वंशिका चौधरी (VANSHIKA CHAUDHARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सान्या चौधरी (SANYA CHAUDHARI) पुत्री राजू चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सरोज देवी पत्नी राजू चौधरी,
पता— नीबीकलां झूंसी तहसील-फूलपुर,
जिला-प्रयागराज ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अन्विका तिवारी पुत्री आनन्द कुमार तिवारी है जो जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—3408 7433 5416 में उसका नाम आशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अन्विका तिवारी पुत्री आनन्द कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आनन्द कुमार तिवारी,
पुत्र श्री चन्द्र तिवारी,
मं0 नं0—142, पोस्ट—ड्येडी विद्वानपुर,
करेरू, जिला—फैजाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टी सिंह (Shristi Singh) पुत्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 4537 9808 3182 में उसका नाम सृष्टि यादव (Srashti Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि सिंह (Shristi Singh) पुत्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र अशोक कुमार
स्थाई पता—नि0 ग्राम चंदा रठेह मैनपुरी उ0प्र0।
अस्थाई पता—अड्डा प्रभु शान्ति कालोनी,
इटवा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विकाश सैनी पुत्र हरिओम सैनी है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4231 8362 8324 में मेरा नाम राम मोहन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विकाश सैनी पुत्र हरिओम सैनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विकाश सैनी पुत्र हरिओम सैनी
नि0— शास्त्री नगर मोहम्मदाबाद
फर्रुखाबाद, (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष कुमार (Krish Kumar) पुत्र राजेश कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 4593 7677 0063 में उसका नाम कृष्णा कुमार अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष कुमार (Krish Kumar) पुत्र राजेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश कुमार पुत्र राम आसरे,
पता— पूरे पितई करनपुर देहात,
प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भार्गवी चौधरी पुत्री अनुराग चौधरी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 7226 1746 5018 में उसका नाम सलोनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भार्गवी चौधरी पुत्री अनुराग चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुराग चौधरी, पिता भार्गव चौधरी,
C-2/305 सेक्टर F
जानकीपुरम लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द कुमार पुत्र अजय कुमार यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नम्बर 4884 7803 3793 में अभिलाष यादव हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को आनन्द कुमार पुत्र अजय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मैं बहलफ तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त सभी कथन सच व सही है। इसमें न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है।

अजय कुमार यादव,
ग्राम—देवापुर, पोस्ट—कुम्हौना (सिकन्दरा),
तहसील—फूलपुर, जनपद—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कोचुथ्रेसिया सी० वी० (KOCHUTHRESIA C.V.) पुत्री स्वर्गीय वर्गीस सी० वी० (LATE VARGHEES C.V.), है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9129 4824 5668 में मेरा नाम सिस्टर उषास सी० एस० एन० है SR. USHUS C.S.N. अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कोचुथ्रेसिया सी० वी० (KOCHUTHRESIA C.V.) पुत्री स्वर्गीय वर्गीस सी. वी. (LATE VARGHEES C.V.) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कोचुथ्रेसिया सी० वी० KOCHUTHRESIA,
पुत्री स्वर्गीय वर्गीस सी० वी०,
LATE-VARGHEES C.V.,
निवासिनी— नाजरेथ अस्पताल,
13/A कमला नेहरू रोड प्रयागराज,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भारती अनु मधुसुदन (BHARATI ANU MADHUSUDAN) पुत्री मधुसुदन भारती है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8683 8003 0717 में मेरा नाम अनु मधुसुदन भारती (ANU MADHUSUDAN BHARTI) अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भारती अनु मधुसुदन (BHARATI ANU MADHUSUDAN) पुत्री मधुसुदन भारती के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनु मधुसुदन भारती,
निवासी— ग्राम सिधावे, पोस्ट—पथरदेवा,
तहसील—देवरिया, जनपद—देवरिया, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सीता देवी पत्नी रमेश कुमार प्रजापति है जो कि मेरे पैन कार्ड, वोटर आई० डी०, बिजली का बिल, बैंक पास बुक तथा SDM की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6390 5242 3319 में मेरा नाम रीता देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सीता देवी पत्नी रमेश कुमार प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सीता देवी, पत्नी रमेश कुमार प्रजापति,
पता— ग्राम सेऊर, पोस्ट—सेऊर,
थाना व तहसील—मड़ियाहूँ, जनपद—जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र गामा यादव है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—3427 5667 3500 में मेरा नाम धीरू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र गामा यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धर्मेन्द्र यादव, पुत्र गामा यादव,
निवासी—ग्राम हकीमपुर पोस्ट—सिहौरी,
तहसील—सैदपुर, जिला—गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अन्वेशा श्रीवास्तव (ANVESH SRIVASTAVA) पुत्री विकास श्रीवास्तव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—5303 2787 0285 में उसका नाम अन्मेशा श्रीवास्तव (ANMESH SRIVASTAVA) अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अन्वेशा श्रीवास्तव (ANVESH SRIVASTAVA) पुत्री विकास श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विकाश श्रीवास्तव,
पता— ई—11 पाण्डेय का तालाब कॉलोनी,
ऐशबाग, थाना—बाजार खाला, लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट, ग्राम—फरीदपुर उददा, चांदपुर रोड, जिला—बिजनौर, (यू०पी०) पंजीकरण सं०—BIJ/0006839 में तीन पार्टनर श्री अनुज चौधरी, श्रीमती अनुनमा एवं श्रीमती शैली आर्य थे। पार्टनर श्रीमती अनुनमा ने दिनांक 28 जनवरी, 2026 को रिटायरमेंट लेकर अपनी साझीदार समाप्त कर ली है। रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की उक्त फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। फर्म में अब दो पार्टनर श्री अनुज चौधरी एवं श्रीमती शैली आर्य हैं।

अनुज चौधरी,
पार्टनर,
मेसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट, ग्राम—फरीदपुर उददा,
चांदपुर रोड, जिला—बिजनौर (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म में० Titco Electricals 3 Thornhil Road, Allahabad में पंजीकरण के समय से सुनील नांगिया एवं प्राण नाथ नांगिया भागीदार थे। दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को प्राण नाथ नांगिया को उक्त फर्म से अपनी

भागीदारी— समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं तथा चेतन नांगिया दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में दो भागीदार सुनील नांगिया एवं चेतन नांगिया हैं। फर्म से अलग हुए भागीदार प्राण नाथ नांगिया का वर्तमान में दि० 29 नवम्बर, 2024 को निधन को हो गया है।

सुनील नांगिया,
भागीदार,
में० Titco Electricals 3 Thornhil Road,
Allahabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स मोडा रोपा, ए-137, सैक्टर-63, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201305 की साझीदारी में श्री मनोहर लाल शर्मा, श्री वैभव शर्मा एवं श्री रोबिन शर्मा साझीदार थे। दिनांक: 04.10.2019 को श्री अभिनीत सिंह एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा श्री रोबिन शर्मा फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं दिनांक: 13 फरवरी, 2025 को श्री अभिनीत सिंह एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक: 13 फरवरी, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री मनोहर लाल शर्मा एवं श्री वैभव शर्मा साझीदार हैं।

यह घोषणा करता हूँ कि एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मनोहर लाल शर्मा,
साझीदार,
मैसर्स मोडा रोपा, ए-137, सैक्टर-63,
नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s A.V. Associates, 26, Shiv Sarovar Colony, Garh Road, Meerut U.P. की साझीदारी में Shri Alok Kumar Gupta and Shri Vibhav Goyal साझीदार थे। दिनांक

30 दिसम्बर, 2025 को संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Shri Abhinav Rathi साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा Shri Vibhav Goyal साझीदारी से अपना हिसाब किताब ले-देकर अलग हुये हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Shri Alok Kumar Gupta and Shri Abhinav Rathi साझीदार हैं तथा फर्म का पता H-No 129, Gagan Enclave Rohta Road, Meerut हो गया है।

यह घोषणा करता हूँ कि एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

Alok Kumar Gupta,
साझीदार,
M/s A.V. Associates, H. No. 129,
Gagan Enclave Rohta Road, Meerut.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैभवी शुक्ला पुत्री अजय कुमार शुक्ला है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 8425 6665 2815 में उसका नाम शाम्भवी शुक्ला अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैभवी शुक्ला पुत्री अजय कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अजय कुमार शुक्ला
पुत्र सुरेन्द्र प्रकाश शुक्ला,
निवासी- गंगानगर कालोनी,
फर्रुखाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स पी० के० शर्मा, 64 अरुणा नगर, एटा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं -

दिनांक 19 जनवरी, 2026 को फर्म के प्रथम साझेदार श्री प्रभाष कुमार शर्मा पुत्र स्व० रामेश्वर दयाल शर्मा निवासी 64 अरूणा नगर एटा का निधन हो गया है, उनके स्थान पर सुश्री इशिका शर्मा पुत्री श्री मनीष कुमार शर्मा निवासी-64 अरूणा नगर एटा को नये भागीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री मनीष कुमार शर्मा, श्रीमती आरती शर्मा तथा सुश्री इशिका शर्मा भागीदार हो गये हैं।

मनीष कुमार शर्मा,
भागीदार,
मैसर्स पी० के० शर्मा, 64 अरूणा नगर,
एटा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० भुल्लर कन्स्ट्रक्शन, एच एन-5 सरोज एन्कलेव, अलबतिया रोड, शाहगंज, आगरा-282010 परिवर्तित पता-40/6 बड़ा उखर्वा, दुर्गा नगर, राजपुर चुंगी, आगरा-282001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह कि उक्त फर्म में दिनांक-15 जनवरी, 2026 से श्री दलवीर सिंह भुल्लर पुत्र स्व० श्री चूर सिंह भुल्लर निवासी-म०न०-5 सरोज एन्कलेव, अलबतिया रोड, शाहगंज, आगरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से

पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्रीमती ममता तथा विनय कुमार साझेदार हैं।

ममता,
साझेदार,
मै० भुल्लर कन्स्ट्रक्शन, एच एन-5,
सरोज एन्कलेव, अलबतिया रोड,
शाहगंज, आगरा-282010
परिवर्तित पता-40/6 बड़ा उखर्वा,
दुर्गा नगर, राजपुर चुंगी, आगरा।

NOTICE

This is to inform the general public that my son's real name is Surya Pratap Singh son of Rajkumar Singh, as mentioned in his educational records and Aadhaar card. Due to my son's poor health, I have changed his name from Surya Pratap Singh to Chaitnya Prataap Singh Senger, as advised by my astrologer. In the future, my son will be known and recognized as Chaitnya Prataap Singh Senger son of Rajkumar Singh. It is hereby certified that I have personally completed all legal formalities, in connection with the above.

Rajkumar Singh,
Address- 124/69A Block C,
Govind Nagar District Kanpur Nagar.